



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

नियमित परीक्षार्थियों के ऑनलाईन आवेदन-पत्र अग्रेषित करने का अधिकार पत्र

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या / प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका
.....
..... (राजस्थान)

विद्यालय कोड

क्रमांक - परीक्षा - 1/सैल- 8 /2020/

दिनांक :

महोदय / महोदया,

वर्ष 2020 की परीक्षाओं के लिए आपको निम्न निर्देशों के अनुसार आपके विद्यालय के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय एवं व्यावसायिक परीक्षा के परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र ऑनलाईन भरवाने हैं। मूक बधिर एवं CWSN विद्यार्थियों के आवेदन पत्र दिये गये निर्देशों के अनुरूप विशेष सावधानीपूर्वक भरें।

1. वर्ष 2020 की परीक्षाएँ गुरुवार 20 फरवरी, 2020 से प्रारम्भ होंगी।
2. परीक्षा शुल्क ऑनलाईन व्यवस्था के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अधिकृत बैंक की राजस्थान में स्थित किसी भी शाखा में जमा कराया जा सकता है। विस्तृत निर्देश परिशिष्ट-1 के बिन्दु संख्या 3 पर देखें।
3. ऑन लाईन भरे गये मुद्रित परीक्षा आवेदन-पत्रों की हार्ड कॉपी परीक्षा शुल्क के चालान, अग्रेषण सूची तथा परीक्षा शुल्क विवरण (परीक्षा प्रपत्र 128) के साथ आपको निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा कराने हैं।
4. विद्यालयों को ऑन लाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था की गई है जिसके विस्तृत निर्देश परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध हैं।

ऑन लाईन परीक्षा आवेदन-पत्र :-

बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नमूने के आवेदन पत्र को डाउनलोड करें। विद्यालय इसकी फोटो प्रतियां करवाकर परीक्षार्थियों से भरवाएंगे। इन भरे हुए परीक्षा आवेदन-पत्रों के आधार पर यदि विद्यालय में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध हो तो विद्यालय में बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर आनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरे जाने हैं अथवा समीप के किसी भी कम्प्यूटर सेन्टर, ई-मित्र केन्द्र पर जाकर ऑन लाईन आवेदन पत्र भरें। आवेदन-पत्र वर्गवार एवं अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णानुसार ही कम्प्यूटर में फीड करावें।

ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् इसकी चैक लिस्ट प्रिन्ट होगी। इस चैक लिस्ट को आप अच्छी तरह से जांच कर संशोधन करें। ये संशोधन पुनः ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्रों में करवाने होंगे। सभी संशोधन होने के पश्चात आपको चालान फार्म एवं अग्रेषण सूची मुद्रित होकर प्राप्त होगी। चालान फार्म पर शुल्क चयनित बैंक में जमा कराने की निर्धारित अन्तिम दिनांक मुद्रित होगी, इस दिनांक तक चयनित बैंक में शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।

इस चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क निर्धारित अन्तिम तिथियों तक बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी समीप के बैंक की किसी भी शाखा में आनलाईन जमा करावें। बैंक में शुल्क जमा कराते समय चालान के साथ अग्रेषण सूची दो प्रतियों में बैंक में जमा करानी है। बैंक द्वारा चालान की तीन प्रतियां एवं एक अग्रेषण सूची पर मुहर लगाकर वापस दी जायेगी।

चालान द्वारा परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने के बाद बोर्ड वेबसाइट पर ऑनलाईन चालान पर दिये गये ट्रांजेक्शन नम्बर फीड करने के पश्चात् आप परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र मुद्रित कर सकते हैं।

विद्यालय को शुल्क जमा कराने का ट्रांजेक्शन नम्बर फीड करने के पश्चात कम्प्यूटर से प्रिन्ट परीक्षा आवेदन-पत्र, चालान की दो प्रतियां एवं अग्रेषण सूची की एक प्रति प्रपत्र 128 के साथ निर्धारित अन्तिम तिथि तक संबंधित नोडल केन्द्र पर ही जमा कराई जानी है।

विशेष :- (1) ऑन-लाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के विस्तृत निर्देश परिशिष्ट 3 पर देखें।

(2) निर्धारित तिथियों तक सामान्य परीक्षा शुल्क बैंक में जमा नहीं कराया जाता है तो परीक्षा शुल्क बैंक द्वारा अतिरिक्त शुल्क सहित स्वीकार किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की तिथियों के पश्चात बैंक किसी भी स्थिति में शुल्क स्वीकार नहीं करेगा।

(3) ऑनलाईन कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने के पश्चात् आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी निकाली जाती है जिन पर चालान नं./ट्रांजेक्शन नं. लिखा होता है। केवल वही आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी नोडल केन्द्रों पर जमा करावें। **Provisional form for Correction** वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

आवेदन-पत्र की पूर्ति, ऑनलाईन आवेदन भराने की तिथियां, परीक्षा शुल्क, आवेदन पत्रों का प्रेषण, पात्रता प्रमाण-पत्र, समाजोपयोगी योजनाएं व समाज सेवा विषयों की तथा अन्य जानकारी हेतु कृपया परिशिष्ट 1 से 6 का भली भांति अध्ययन कर लें :-

- परिशिष्ट - 1 आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथियां एवं परीक्षा शुल्क ऑन लाईन जमा कराने की विधि।
- परिशिष्ट - 2 अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय के अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जानकारी।
- परिशिष्ट - 3 आवेदन-पत्रों की पूर्ति, अग्रेषण सूची, ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने एवं भरे हुए आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी नोडल विद्यालय पर जमा कराने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी।
- परिशिष्ट - 4 आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् विद्यालय/केन्द्र/वर्ग/श्रेणी/विषय परिवर्तन संबंधी जानकारी।
- परिशिष्ट - 5 नियमित परीक्षार्थी को प्रवेशाज्ञा देने संबंधी नियम।
- परिशिष्ट - 6 अन्य प्रमुख निर्देश
- परिशिष्ट - 7 शाला प्रधान के द्वारा मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र से संबंधित नियम।

- परिशिष्ट - 8 विषयवार कोड लिस्ट।
 परिशिष्ट - 9 बोर्ड अधिवेशन में पारित विभिन्न शास्तियों सम्बन्धी नियम।
 परिशिष्ट -10 उच्च माध्यमिक/माध्यमिक परीक्षा (व्यावसायिक) संबंधी निर्देश।
 परिशिष्ट -11 अतिरिक्त समय एवं श्रुतलेखक सम्बन्धी निर्देश।
 परिशिष्ट -12 चिकित्सा प्रमाण पत्र विकलांगों हेतु अतिरिक्त समय व श्रुतलेखक के नियम।

अति आवश्यक निर्देश :-

1. परीक्षा अग्रेषण शुल्क रु. 50/- प्रति परीक्षार्थी निर्धारित है। अतः ऑनलाईन डेटा फीडिंग हेतु व्ययों की पूर्ति विद्यालयों द्वारा उक्त राशि में से करनी होगी। यदि अधिक राशि व्यय हो तो विद्यालय को अपने स्तर पर वहन करनी होगी। बोर्ड को निर्धारित पूरा परीक्षा शुल्क भेजना आवश्यक है।
2. ऑनलाईन मुद्रित परीक्षा आवेदन - पत्र, परीक्षा शुल्क की चालान रसीद तथा अग्रेषण सूची इत्यादि परीक्षा प्रपत्र - 125 "आवेदन-पत्र भेजने के निर्देश" के अनुसार अन्तिम तिथियों तक विद्यालय के कर्मचारी को भेजकर आपके विद्यालय हेतु निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा कराना अनिवार्य है। इन्हें डाक द्वारा नहीं भेजा जावे। नोडल केन्द्र पर आवेदन-पत्र जमा कराने हेतु जाने वाले कर्मचारी को देय वास्तविक वाहन व्यय अग्रेषण शुल्क की राशि से वहन किया जायेगा। इसके लिए बोर्ड द्वारा पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. सभी विद्यालय/अग्रेषण अधिकारियों को बोर्ड द्वारा निर्धारित दिनांक तक परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करा कर चालान की प्रति एवं अग्रेषण सूची तथा परीक्षा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी मय प्रलेखों की फोटो प्रति के साथ निर्धारित तिथि पर नोडल केन्द्र पर जमा कराना आवश्यक है।
4. यदि कोई विद्यालय/अग्रेषण अधिकारी, बैंक में निर्धारित दिनांक तक शुल्क जमा करा देता है किन्तु आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी निर्धारित दिनांक तक नोडल केन्द्र पर जमा नहीं करा पाता है तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, इसके कारण परीक्षार्थियों के परीक्षा में बैठने से वंचित रहने की समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान/अग्रेषण अधिकारी की होगी।
5. सामान्य परीक्षा शुल्क तथा एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का आपस में समायोजन नहीं किया जायेगा।
6. बोर्ड कार्यालय में डाक द्वारा आवेदन-पत्र/शुल्क का चालान रसीद स्वीकार नहीं होंगे। इन्हें वापस लौटा दिया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी। इन्हें निर्धारित नोडल केन्द्र पर ही जमा कराना है। इसे अति आवश्यक समझें।
7. निर्धारित तिथि को आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी परीक्षा शुल्क जमा कराने की चालान रसीद एवं अग्रेषण सूची आपके विद्यालय हेतु निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें। विलम्ब के कारण यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में प्रवेश से वंचित रहता है तो शाला प्रधान की जिम्मेदारी होगी।
8. नव क्रमोन्नत विद्यालय जिन्हें विद्यालय कोड आवंटित नहीं हुआ है तथा ऑनलाईन सूची में जिनका नाम नहीं है उनके भी आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरे जाने हैं वे राज्य सरकार से क्रमोन्नति आदेश संलग्न कर इस बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने की कार्यवाही निर्धारित तिथियों में करके बोर्ड से आई. डी/ पासवर्ड प्राप्त करके आनलाइन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करेंगे। विद्यालय को परीक्षा शुल्क ऑन लाईन व्यवस्था के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिकृत बैंक की निकटतम शाखा में चालान से अथवा ऑनलाइन जमा कराना अनिवार्य है। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं होंगे।
9. अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की तिथि समाप्त होने के पश्चात आवेदन-पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यह शाला प्रधान की जिम्मेदारी होगी।

परिशिष्ट - 1

1. (i) आवेदन-पत्र ऑनलाईन भरने व परीक्षा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथियां :-

परीक्षा शुल्क के प्रकार	परीक्षा शुल्क	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क प्रति विषय	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा चालान मुद्रण की अन्तिम तिथि	शुल्क बैंक में जमा कराने की तिथि	आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केन्द्र पर जमा कराने की तिथि
1. सामान्य परीक्षा शुल्क (कोड A)	600/-	100/-	30-08-2019	03.09.2019	09.09.2019
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित (कोड B)	1200/-	100/-	09-09-2019	13.09.2019	17.09.2019

(ii) पूरक परीक्षा से अनुत्तीर्ण/उत्तीर्ण व शुल्क जमा कराकर अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों के लिये:-

1. सामान्य परीक्षा शुल्क (कोड A)	600/-	100/-	03-10-2019	09.10.2019	14.10.2019
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित (कोड B)	1200/-	100/-	10-10-2019	14.10.2019	18.10.2019

(iii) प्रायोगिक परीक्षा शुल्क- रु. 100/- प्रति प्रायोगिक विषय (परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त) देय है।

नोट :- (1) निर्धारित तिथि को आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी मय संलग्नक परीक्षा शुल्क, चालान रसीद एवं अग्रेषण सूची परीक्षा प्रपत्र 128 के साथ नोडल केन्द्र पर जमा कराना अनिवार्य है। विलम्ब के कारण यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में प्रवेश से वंचित रहता है तो शाला प्रधान की जिम्मेदारी होगी। इन शालाओं के आवेदन पत्र परिशिष्ट 9 के नियमानुसार शास्ति शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में जमा कराने होंगे।

(2) कृपया उपर्युक्त तिथियों के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी परीक्षार्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं करें। परीक्षार्थियों से प्राप्त परीक्षा शुल्क को अलग कैंस बुक में लिखें। शाला प्रधान उपर्युक्त निश्चित तिथि तक ऑनलाईन मुद्रित Approved आवेदन पत्र अग्रेषण सूची व परीक्षा शुल्क चालान रसीद सहित नोडल केन्द्र पर जमा करा दें।

2. परीक्षा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी शुल्क जमा करने व प्रेषण के संबंध में आवश्यक निर्देश :-

ऑनलाईन मुद्रित **Approved** आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क का चालान रसीद दोनों एक साथ नोडल केन्द्र पर जमा कराने होंगे। केवल आवेदन-पत्र अथवा केवल शुल्क का चालान रसीद स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. परीक्षा शुल्क ऑन लाईन जमा कराने संबंधी विस्तृत निर्देश :-

नोट:- अधिकृत बैंकों के नाम - 1. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक 3. यस बैंक की राजस्थान में स्थित किसी भी निकटतम शाखा में वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षा के परीक्षा शुल्क चालान द्वारा जमा किया जा सकेगा। अन्य कोई बैंक इस कार्य हेतु अधिकृत नहीं है।

विद्यालय द्वारा ऑनलाईन शुल्क जमा कराये जाने पर प्रति व्यवहार

(क) नगद/इन्टरनेट बैंकिंग (स्वयं के बैंक एवं अन्य समस्त 12 रु. (जीएसटी सहित) बैंक द्वारा)

(ख) डेबिट कार्ड के माध्यम से रु. 2000/- तक NIL
रु. 2000/- से अधिक .90% ट्रान्जेक्शन राशि का

(ग) क्रेडिट कार्ड 1% ट्रान्जेक्शन राशि का

(घ) RTGS/NEFT NIL

यस बैंक में कैश द्वारा चालान जमा नहीं होगा।

अधिक जानकारी हेतु आई.सी.आई.सी.आई. बैंक/बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/यस बैंक के चालान पर मुद्रित अधिकृत बैंक अधिकारी के मोबाईल पर सम्पर्क करें।

शाला प्रधान परीक्षा शुल्क "ऑन लाईन" जमा कराने हेतु निम्नांकित कार्यवाही करें:-

अ. चालान फॉर्म-

बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा आवेदन-पत्र ऑनलाईन अपलोड करने के पश्चात कम्प्यूटर द्वारा शुल्क का चालान मुद्रित किया जायेगा जिस पर परीक्षा शुल्क विवरण **Validity date** एवं कुल राशि भी मुद्रित होगी। चालान पर बैंक A/c नम्बर भी मुद्रित होगा। बैंक A/c नम्बर पृथक से नहीं लिखना है। यह चार प्रतियों में होगा। एक प्रति बैंक रखेगा तथा तीन प्रतियां आपको लौटाई जायेगी। इनमें से 1 व 2 नम्बर की प्रति आपको परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ संलग्न कर नोडल केन्द्र पर जमा करानी है तथा एक प्रति आपके पास रहेगी।

ब. परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराना -

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित चालान फॉर्म, परीक्षार्थियों की अग्रप्रेषण सूची (दो प्रतियों में) के साथ परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक बोर्ड द्वारा अधिकृत बैंक की निकटतम शाखा के समक्ष प्रस्तुत कर नकद राशि कैश काउण्टर पर जमा करावें जहां आपको शुल्क जमा कर चालान की 3 प्रतियां मय **Transaction No.** एवं अग्रप्रेषण सूची की एक प्रति बैंककी मोहर लगाकर लौटाई जायेंगी।

स. **Transction No. Feed** करके परीक्षा आवेदन-पत्र मुद्रित करना -

जिस चालान नं. द्वारा बैंक में शुल्क जमा कराया जायेगा, बैंक द्वारा चालान पर बैंक की मोहर व **Transaction No.** लिखा जायेगा। चालान फॉर्म पर अंकित **Transaction No.** को कम्प्यूटर में फीड करने के पश्चात ही **Approved** आवेदन पत्र मुद्रित किये जा सकेंगे।

द. **Online** भरे गये परीक्षा आवेदन-पत्रों में रही त्रुटियों के संशोधन हेतु पुनः लगभग 10 से 15 दिवस का समय दिया जायेगा जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी। इस अवधि में निःशुल्क **Online** संशोधन किये जा सकेंगे। इस अवधि के पश्चात संशोधन शुल्क लेकर ही संशोधन किया जा सकेगा।

य. बोर्ड को शुल्क की रसीद एवं अग्रप्रेषण सूची का प्रेषण -

बैंक में चालान फॉर्म द्वारा परीक्षा शुल्क जमा कराने के बाद लौटाई गई 3 प्रतियों में से क्रमांक 3 वाली प्रति अपने कार्यालय हेतु सुरक्षित रखें क्रमांक 1 व 2 प्रतियां, ऑन लाईन मुद्रित **Approved** आवेदन पत्र, अग्रप्रेषण सूची तथा प्रपत्र 128 निर्धारित तिथियों तक नोडल केन्द्र पर जमा करवायें।

नोट :- (1) प्रत्येक चालान के साथ रु. 12/- (जीएसटी सहित) बैंक में पृथक से जमा कराना होगा। ऑनलाईन भुगतान हेतु चार्जज बैंक के नियमानुसार देय होंगे इस राशि का भुगतान अग्रप्रेषण शुल्क राशि में से किया जावेगा।

कृपया विशेष रूप से ध्यान रखें कि आवेदन पत्र भरने के पश्चात् प्राप्त चालान में अंकित तिथि अनुसार परीक्षा शुल्क बैंक में अवश्य जमा करा दें अंतिम तिथि का इन्तजार नहीं करें। नियत तिथि उपरान्त शुल्क बैंक द्वारा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा। शुल्क जमा न होने की समस्त जिम्मेदारी विद्यालय स्वयं की होगी।

4. नव क्रमोन्नत विद्यालय हेतु विशेष निर्देश :-

- जिन नव क्रमोन्नत विद्यालयों को विद्यालय कोड आवंटित नहीं हो पाया है तथा जिनका नाम वेबसाइट की आनलाईन सूची में नहीं है, ऐसे नवक्रमोन्नत विद्यालय राज्य सरकार से नवक्रमोन्नति आदेश के साथ समस्त पत्रावली सहित बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त की कार्यवाही करने के पश्चात निर्धारित तिथियों में बोर्ड से आई.डी. एवम् पासवर्ड प्राप्त करके आनलाईन ही आवेदन पत्र भर सकेंगे। नव क्रमोन्नत विद्यालयों के ऑनलाईन शुल्क जमा कराना अनिवार्य है, उनका परीक्षा शुल्क ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा। नव क्रमोन्नत विद्यालय प्रपत्र 128 में यथा स्थान अपने निकटतम दो परीक्षा केन्द्रों का नाम अवश्य अंकित करें।
- नव क्रमोन्नत विद्यालय सम्बद्धता प्राप्त करने की कार्यवाही आवेदन पत्र भरने की तिथि से पूर्व ही कर आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरने की कार्यवाही कर लें। उन्हे इस हेतु पृथक से समय नहीं दिया जाएगा।

5. सामान्य निर्देश :-

- (1) परीक्षा शुल्क बोर्ड कार्यालय में नकद राशि, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर अथवा चैक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक अंतिम तिथि से एक दिन पहले विद्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ लिपिक / अध्यापकों से पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें कि कोई आवेदन-पत्र तथा शुल्क की रकम भूल से कहीं रखी तो नहीं रह गई

है और जितने आवेदन-पत्र आये हैं वे सभी यथास्थान हैं और जितना शुल्क आया उन सभी का बैंक में जमा करा कर चालान रसीदें तीन प्रति में प्राप्त हो गई हैं। कृपया अपने विद्यालय के संबंधित लिपिक व अध्यापक से अपना-अपना रिकार्ड व अलमारी अच्छी तरह से दिखा लें एवं उनसे अंतिम तिथि के बाद लिखवाकर रख लें कि उनके पास कोई आवेदन-पत्र अथवा शुल्क नहीं रखा हुआ है।

(3) आवेदन-पत्र संबंधी कार्यों पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण करने के लिये रु. 50/- प्रति परीक्षार्थी अग्रेषण शुल्क आप अलग से छात्रों से ले लें। इस राशि का उपयोग बोर्ड परीक्षा संबंधी कार्य एवं इन्हें प्रेषण हेतु ही करें। अग्रेषण शुल्क का वितरण शाला प्रधान को रु. 4/- प्रति छात्र परीक्षा प्रभारी/सहयोगी को रु. 3.25 प्रति छात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रु. 1.75 प्रति छात्र तथा शेष राशि परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने, आवेदन-पत्र नोडल केन्द्र पर जमा कराने एवं बैंक में परीक्षा शुल्क जमा कराने का कमीशन आनलाईन प्रवेश पत्र मुद्रण आदि के लिये रु. 41/- से दिया जाना है।

(4) निर्धारित तिथियों तक परीक्षा शुल्क बैंक में अवश्य जमा करा दें। उसके पश्चात् बैंक किसी भी स्थिति में उक्त शुल्क जमा नहीं कर सकेगा।

नोट :- (1) सभी अंतिम तिथियों के बाद आवेदन पत्र एवं शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी।

(2) उपरोक्त व्यवस्था में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी। अतः समाचार पत्र देखते रहें।

6. शुल्क में छूट :-

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को (CWSN)/दृष्टिबाधित परीक्षार्थी/दिव्यांग/पुलवामा हमले में शहीद के आश्रितों/युद्ध में वीरगति को प्राप्त अथवा अपाहिज सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है किन्तु इन्हें टोकन शुल्क रूपये 50/- जमा कराना होगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के आवेदन पत्र पर आप दृष्टिबाधित होने का उल्लेख कर दें तथा राजकीय चिकित्सालय/औषधालय के प्रधान चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न कर दें। गलत तथ्य प्रस्तुत कर किसी भी शाला प्रधान/अग्रेषण अधिकारी द्वारा उक्त गलत कोड अंकित कर परीक्षा शुल्क वंचन की कार्यवाही की गई तो ऐसे प्रत्येक परीक्षार्थी का बकाया शुल्क तथा 5000/- रु. शास्ति शुल्क लेकर ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे। साथ ही जानबूझकर ऐसी कार्यवाही करने पर आर्थिक अपराध मानते हुए शाला प्रधान/अग्रेषण अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अथवा अपाहिज हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के आवेदन पत्र के साथ भी इस बात की पुष्टि हेतु सैनिक अधिकारी के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। दिव्यांग परीक्षार्थियों को भी बोर्ड परीक्षा शुल्क देने से मुक्ति प्रदान की गई है। दिव्यांग परीक्षार्थी की परिभाषा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान द्वारा दिव्यांगों को रोजगार के लिए निर्धारित की गई परिभाषा मानी जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले दिव्यांगों को निर्धारित प्रपत्र में जारी किये गये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी। ऐसे परीक्षार्थियों को जिन्हें परीक्षा शुल्क देने से मुक्त कर दिया है, उन्हें टोकन शुल्क रु. 50/- नियमानुसार देना होगा। आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क के लिए निर्धारित तिथि के बाद अग्रेषित किए गए हैं तो उन्हें नियमानुसार टोकन शुल्क के साथ एक सामान्य परीक्षा शुल्क 600/- रूपये अतिरिक्त भी देना होगा अर्थात् उन्हें कुल रु. 650/- देने होंगे। ऐसे परीक्षार्थी यदि केन्द्र/वर्ग/विद्यालय/विषय/श्रेणी परिवर्तन कर आवेदन करते हैं तो उनसे भी एक सामान्य परीक्षा शुल्क लिया जावेगा।

परिशिष्ट - 2

अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जानकारी

1. अन्य बोर्ड से कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के पश्चात् परीक्षार्थी कक्षा 11 अथवा कक्षा 12, जिस कक्षा में प्रवेश ले, प्रवेश से पूर्व बोर्ड से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उच्च माध्यमिक परीक्षा के ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक भरनी होगी तथा परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ मूल पात्रता प्रमाण पत्र संलग्न कर नोडल केन्द्र पर जमा कराना होगा अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी एवं शाला प्रधान की होगी।
2. **Online** परीक्षा आवेदन पत्र में पात्रता प्रमाण-पत्र क्रमांक एवं दिनांक सही भरें। त्रुटिपूर्ण अथवा फर्जी क्रमांक /दिनांक भरने पर परीक्षा आवेदन-पत्र निरस्त कर विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। अन्य किसी भी प्रमाण पत्र/प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) के क्रमांक अंकित नहीं करें।
3. बोर्ड अधिवेशन दिनांक 05.05.16 के प्रस्ताव संख्या 24 पर केन्द्रीय मा.शि.बोर्ड एवं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से प्रवर्जित छात्रों को जारी की जाने वाली पात्रता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को ऑनलाईन करने हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में निम्न प्रक्रिया अपनाई जावे :-

छात्र/छात्रा ने जिस शाला में अस्थायी प्रवेश ले रखा है अथवा प्रवेश लेना चाहता है उसी शाला के प्रधान को अपने मूल व फोटो प्रलेख प्रस्तुत करने हैं तथा शाला प्रधान की स्वयं की समस्त जिम्मेदारी से बोर्ड अनुदेशिका (पृष्ठ-9) अनुसार पात्रता जांच एवं प्रलेखों का ऑनलाईन सत्यापन उपरान्त फोटो प्रतियां प्रमाणित करवा कर उसी शाला के माध्यम से शाला की लॉगिन आई.डी. तथा पासवर्ड से लॉगिन कर पात्रता प्रमाण-पत्र फॉर्मेट में चाही गई सम्पूर्ण जानकारी को प्रविष्ट कर ऑनलाईन चालान जनरेट किया जावेगा। उसके पश्चात् ई-मित्र केन्द्र पर जाकर बोर्ड अनुदेशिका अनुसार वांछित पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क राशि जमा करवा कर शाला के पोर्टल पर चालान की सूचना अपडेट की जावेगी। उसके पश्चात् उसी पोर्टल पर उपलब्ध जनरेट प्रमाण पत्र बटन पर क्लिक कर उस छात्र द्वारा पूर्व में भरी गई समस्त जानकारी के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उसका पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा जिसे संबंधित शाला प्रधान द्वारा ऑनलाईन जांच कर प्रमाणित करते हुये चालान प्रति व प्रलेखों की सत्यापित फोटो प्रतियों को संबंधित छात्र के परीक्षार्थ आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर बोर्ड को प्रेषित किया जावेगा। स्वयंपाठी छात्र भी अपने अग्रेषण अधिकारी के माध्यम से उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही के द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु संबंधित शाला प्रधान को छात्र से पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क के अतिरिक्त प्रति छात्र 20/- रूपये तथा ई-मित्र 5/- रूपये शुल्क ले सकेंगे।

1. पात्रता प्रमाण-पत्र :-

उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा हेतु अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं शुल्क :-

पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क -

1. कक्षा 12 (उच्च माध्यमिक)

सामान्य परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक - 100/- रुपये

दोगुने परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक - 200/- रुपये

असाधारण परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक -300/- रुपये

विशेष परिस्थिति में यदि उपरोक्त तिथि के पश्चात् जारी किया जाता है तो (शास्ति शुल्क 1500/- सहित)

=1600/- रुपये

यदि कोई विद्यालय अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से कक्षा 10/11 उत्तीर्ण विद्यार्थी को कक्षा 11/12 में बिना पात्रता प्रमाण-पत्र के प्रवेश देता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र शुल्क के साथ प्रति विद्यार्थी पात्रता शुल्क + 1000/- रुपये दण्ड राशि भी ली जावेगी। जो शाला को वहन करनी होगी।

2. कैसे प्राप्त करें पात्रता प्रमाण-पत्र :-

केन्द्रीय मा.शि.बोर्ड, नई दिल्ली तथा राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, जयपुर के अलावा अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक (कक्षा-10) परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को राजस्थान बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। पात्रता प्रमाण पत्र निम्नांकित प्रक्रिया के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है :-

(अ) माध्यमिक परीक्षा उस बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका में समकक्षता सूची में शामिल हो अनुदेशिका राजस्थान बोर्ड की मान्यता प्राप्त सभी शालाओं में उपलब्ध है।

(ब) पात्रता संबंधी नियमों हेतु इस वर्ष की विवरणिका देखें।

(स) कक्षा 11 में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये कक्षा 10 की मूल अंकतालिका व प्रति-हस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र अथवा प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) की मूल प्रतिलिपि मय एक-एक सत्यापित फोटो प्रति के संलग्न करनी होगी। परन्तु कक्षा 12 में नियमित प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को उक्त प्रलेखों के साथ कक्षा 11 उत्तीर्ण की अंकतालिका (मूल प्रति मय एक सत्यापित फोटो प्रति के) भी संलग्न करनी होगी।

(द) पात्रता प्रमाण-पत्र उक्त प्रलेखों के साथ शुल्क जमा कराकर बोर्ड कार्यालय में उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है।

3. परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ मूल पात्रता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय पात्रता, क्रमांक एवं दिनांक भी फीड करनी होगी अन्यथा परीक्षा आवेदन-पत्र नहीं भरा जा सकेगा। त्रुटिपूर्ण अथवा फर्जी पात्रता प्रमाण-पत्र क्रमांक / दिनांक भरने पर परीक्षा आवेदन-पत्र निरस्त कर शाला प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट - 3

ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

1- क्या है ऑनलाईन आवेदन-पत्र व्यवस्था ?

बोर्ड द्वारा बोर्ड की वेबसाइट <http://rajeduboard.rajasthan.gov.in> के माध्यम से परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन-पत्र ऑनलाईन भरने की व्यवस्था की गई है। इस हेतु बोर्ड वेबसाइट पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन के लिंक पर Login (लॉगिन) करके आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे।

2- Login (लॉगिन) कैसे होगा ?

सभी विद्यालयों को बोर्ड द्वारा Login ID (लॉगिन आई.डी.) तथा Password (पासवर्ड) दिया जा चुका है। Login ID (लॉगिन आई.डी-) ही विद्यालय का स्थाई कोड है जो 7 अंकों में है। एक बार Login (लॉगिन) करने के पश्चात् Password (पासवर्ड) परिवर्तित किया जा सकेगा।

नोट :- 1- सभी विद्यालयों को 7 अंकों का स्थाई कोड दिया गया है। यह कोड ही आपका User ID (यूजर आई.डी.) है। आप अपने स्थाई कोड का ही भविष्य में प्रयोग करें तथा विद्यालय की सील में भी यही कोड रखा जावे।

2- सभी विद्यालय अपना User ID (यूजर आई.डी.) तथा Password (पासवर्ड) अवश्य याद रखें तथा इसे गोपनीय रखें। सुरक्षा की दृष्टि से इसे पहली बार लॉगिन करने के पश्चात् अपना पासवर्ड बदल दें। पासवर्ड पूरे वर्ष संभाल कर रखें।

3- परीक्षा आवेदन-पत्र कैसे भरे जायें ?

परीक्षा आवेदन पत्र का नमूना बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। इस नमूने के आवेदन-पत्र की फोटो प्रतियाँ करवाकर प्रत्येक परीक्षार्थी से भरवावें। इन पर परीक्षार्थी का फोटो लगेगा तथा निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर भी होंगे। फोटो पर शाला प्रधान को हस्ताक्षर नहीं करना है। इन परीक्षा आवेदन-पत्रों की पूर्ति विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार होनी चाहिये, यह सुनिश्चित कर लें क्योंकि इसी आधार पर ऑनलाईन आवेदनपत्र भरे जाने हैं।

बोर्ड द्वारा भेजे गये User ID (यूजर आई.डी.) तथा Password (पासवर्ड) से ही बोर्ड वेबसाइट पर Login किया जा सकेगा, यदि आपके विद्यालय में इंटरनेट सुविधा है तो विद्यालय से ही ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। यदि इंटरनेट सुविधा आपके विद्यालय में नहीं हो तो विद्यालय में यह सुविधा प्राप्त कर कार्यवाही की जा सकती है। और यदि यह संभव नहीं हो तो परीक्षार्थियों के भरे हुए परीक्षा आवेदन-पत्र एवं बोर्ड से भेजा गया User ID (यूजर आई.डी.) तथा

Password (पासवर्ड) का लिफाफा लेकर समीप के किसी ई-मित्र क्योस्क अथवा कम्प्यूटर सेन्टर पर जावें। अपने साथ विद्यालय की दूरभाष संख्या, गत वर्ष का परीक्षा केन्द्र, गत वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या इत्यादि सूचना साथ ले जावें। बोर्ड की वेबसाईट <http://rajeduboard.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन के लिंक पर क्लिक करें तथा दिये गये **User ID** (यूजर आई.डी.) तथा **Password** (पासवर्ड) से **Login** (लॉगिन) करें। साईट खुलने पर अपना **Password** (पासवर्ड) परिवर्तित करें। **Login** (लॉगिन) सफलता पूर्वक होने पर कम्प्यूटर पर आपके विद्यालय का स्थायी कोड व विद्यालय के नाम की पुष्टि करलें। इसके पश्चात् निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

- (अ) **विद्यालय प्रोफाईल भरना** – सर्वप्रथम विद्यालय के प्रोफाईल की पूर्ति करें। जिसमें शाला प्रधान का नाम, दूरभाष संख्या, मोबाईल नम्बर, बोर्ड से माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक सम्बद्धता की दिनांक स्थायी/अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त वर्ग/विषयों का विवरण गत वर्ष का परीक्षा केन्द्र, अध्यापकों का विवरण आदि आवश्यक सूचनायें भरी जानी है। इनकी पूर्ति ध्यानपूर्वक करें।
- (ब) **परीक्षा आवेदन पत्र भरना** – विद्यालय प्रोफाईल भरने के पश्चात् विद्यालय के परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन-पत्र ऑनलाईन भरे जाने हैं। यह आवेदन-पत्र अपने साथ पूर्व में भरकर लाये हुए आवेदन-पत्रों के आधार पर भरे जायेंगे। परीक्षा आवेदन-पत्रों की पूर्ति परीक्षा वर्गवार एवं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार भरे।
- (स) **चैकलिस्ट प्राप्त करना** – सभी आवेदन-पत्रों की पूर्ति के पश्चात् उनका प्रिन्ट आउट क्रमानुसार निकलवा लें। इन प्रिन्ट आउट्स की जाँच मूल आवेदन-पत्रों से भली-भांति कर लें तथा आवश्यक संशोधन करें।
- (द) **चैकलिस्ट के आधार पर संशोधन** – मूल परीक्षा आवेदन-पत्रों के आधार पर जो भी संशोधन अपेक्षित हों, ऑनलाईन डाटा में संशोधन करावें तथा सभी आवश्यक संशोधन होना सुनिश्चित करें।
- (य) **चालान फार्म व अग्रेषण सूची प्रिन्ट करना** – सभी संशोधन पूरे होने के पश्चात् **Data Lock** (डाटा लॉक) करने के लिए **Data Lock** (डाटा लॉक) को क्लिक करें एवं बैंक का चयन करें। उसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। **Data Lock** (डाटा लॉक) करने के पश्चात् चालान फार्म तथा परीक्षार्थियों की अग्रेषण सूची प्रिन्ट करें।
- (र) **Online परीक्षा आवेदन-पत्रों के DATA में संशोधन हेतु एक अन्तिम अवसर लगभग 10 दिवस का, समय देते हुए, दिया जायेगा जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी, इस अवधि में निःशुल्क संशोधन किया जा सकेगा।** उसके पश्चात् संशोधन शुल्क लेकर ही संशोधन किया जायेगा।
- (ल) **विद्यालयों के शाला प्रधान द्वारा अपने विद्यालय के नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र शाला दर्पण के ई पोर्टल पर दर्ज परीक्षार्थियों के क्रमांक डालने पर परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि स्वतः दर्ज हो जायेगी इससे किसी भी प्रकार का संशोधन शाला स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो तो पहले शाला दर्पण पोर्टल पर संशोधन करवा कर ही आवेदन पत्र में भरे।**

- विशेष –**
01. डाटा लॉक करने से पूर्व चैकलिस्ट के आधार पर संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें। डाटा लॉक करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क चालान द्वारा अथवा ऑनलाईन जमा कराना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश लॉक डाटा का चालान जमा नहीं करवाया जा सकता है तो उस चालान को वेबसाईट पर निरस्त किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा शेष आवेदन पत्र ऑनलाईन नहीं भरे जा सकेंगे।
 02. यदि किसी विद्यार्थी के दो आवेदन पत्र भर दिये जाते हैं तो उसके स्थान पर अन्य विद्यार्थी का आवेदन पत्र/शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 03. शाला में अध्ययनरत छात्रों की संख्या अनुसार सभी के आवेदन पत्र डाऊनलोड कर लिये गये हैं। यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

4- परीक्षा शुल्क जमा कराना :-

परीक्षा शुल्क चालान 4 प्रतियों में मय शुल्क विवरण प्राप्त होगा। चालान के साथ परीक्षार्थियों की अग्रेषण सूची भी दो प्रतियों में मुद्रित की जानी है। चालान पर **Validity Date** (वैध तिथि) कम्प्यूटर द्वारा अंकित होगी। इस तिथि तक चालान बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी भी समीप के बैंक की निकटतम शाखा में जाकर परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। चालान, अग्रेषण सूची की दो प्रतियों एवं परीक्षा शुल्क नकद बैंक में जमा कराना है।

बैंक द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात् अग्रेषण सूची की एक प्रति पर बैंक की सील लगाकर तथा चालान फार्म की 3 प्रतियों वापस लौटा दी जायेगी। बैंक द्वारा चालान फार्म पर एक **Transaction No.** (ट्रांजेक्शन नम्बर) अंकित किया जायेगा।

5- परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन मुद्रित करना :-

परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् पुनः बोर्ड की वेबसाईट पर **Login** (लॉगिन) करें। चालान फार्म पर अंकित **Transaction No.** (ट्रांजेक्शन नम्बर) जो कि बैंक द्वारा भरा गया है, कम्प्यूटर में फीड करें। **Transaction No.** (ट्रांजेक्शन नम्बर) फीड करने के पश्चात् आप ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र मुद्रित कर सकते हैं।

इन ऑनलाईन मुद्रित परीक्षा आवेदन-पत्रों को प्रमाणित कर आपको हस्ताक्षर करने हैं तथा विद्यालय की सील अंकित करनी है। प्रत्येक परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक प्रलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी है।

- विशेष –**
- परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने से पूर्व डाऊनलोड किये प्रोविजनल आवेदन पत्र (**Provisional form for correction**) जो बिना शुल्क के होते हैं उन्हें स्वीकार नहीं किये जायेगे। बैंक में शुल्क जमा कराने के पश्चात् **Approved** आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे, अतः परीक्षा शुल्क जमा कराने व **Transaction ID** फीड करने के पश्चात् ही **Approved** आवेदन-पत्र मुद्रित कर नोडल केन्द्र पर जमा करावें।

6- ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्रों की हार्ड कॉपी अग्रेषण सूची तथा चालान की प्रतियाँ नोडल केन्द्र पर जमा कराना :-

बैंक द्वारा सील लगाकर दी गई अग्रेषण सूची की एक फोटो प्रति करवा कर अपने पास सुरक्षित रखें। ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्रों की हार्ड कॉपी मय प्रलेखों की प्रमाणित प्रति एवं चालान की दो प्रतियाँ (प्रपत्र 128) के साथ नत्थी कर अपने समीप के नोडल केन्द्र पर जमा करावें। इन्हें पृथक पृथक नहीं करें।

7- एक से अधिक बार ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरना :-

आप एक से अधिक बार भी ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भर सकते हैं। इसके लिये अग्रेषण सूची में परीक्षार्थियों की क्रम संख्या पूर्व सूची के आगे से चलेगी अर्थात् पूर्व सूची में यदि 100 परीक्षार्थी थे तो इस अग्रेषण सूची में क्रमांक 101 से आगे भरे जायेंगे।

अग्रेषण सूची में क्रमांक परीक्षा वार भिन्न-भिन्न भरे जायेंगे किन्तु एक प्रकार की परीक्षा में लगातार चलेंगे।
दुबारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के लिये पुनः क्रम संख्या 2 से 5 तक की प्रक्रिया अपनावें।

8- एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क से आवेदन-पत्र भरना :-

एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क से आवेदन-पत्रों की अग्रेषण सूची की क्रम संख्या भी सामान्य परीक्षा शुल्क की सूची की अन्तिम क्रम संख्या के आगे से चलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि सामान्य परीक्षा शुल्क के आवेदन-पत्र 153 भरे गये हैं तो एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की अग्रेषण सूची की क्रम संख्या 154 से प्रारम्भ होगी।

ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया क्रम संख्या 2 से 5 के अनुसार ही रहेगी। विद्यालय का प्रोफार्सल दुबारा फीड नहीं करना है। इसमें संशोधन हो तो किये जा सकते हैं।

9- प्रवेश पत्र एवं केन्द्र सामग्री डाउनलोड कर प्रिन्ट निकालना :-

बोर्ड परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के मुद्रित प्रवेश पत्र शालाओं को नहीं भेजे जाएंगे। प्रवेश पत्रों को बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा प्रारम्भ से लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड कर दिया जाएगा जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जायेगी। संबंधित शाला प्रधान/अग्रेषण अधिकारी उन्हें पूर्व प्रदत्त आई.डी. पासवर्ड से डाऊनलोड कर प्रवेश पत्रों की हार्ड कॉपी निकालकर उन्हें प्रमाणित कर संबंधित परीक्षार्थियों को वितरित करेंगे।

1. नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित शाला प्रधान तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित अग्रेषण अधिकारी (जहां से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र भरा है) डाऊनलोड कर सकेंगे।
2. नियमित परीक्षार्थियों की उपस्थिति गणना मा./प्रवेशिका/उ.मा./वरि.उपा./व्यावसायिक परीक्षा हेतु उपस्थिति गणना संबंधी निर्देश (परीक्षा प्रपत्र 51) बोर्ड वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है जिसके अनुसार शाला प्रधान विवरण पत्र (प्रपत्र 49 व 50) में सूचना भरकर बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिन शालाओं ने बोर्ड से सम्बद्धता का वार्षिक शुल्क जमा नहीं कराया है उनके सभी परीक्षार्थियों तथा ऐसे परीक्षार्थी जिनका शाला से नाम पृथक (NSO), उपस्थिति न्यून के कारण रोका गया (DETAINED) आवेदन पत्र निरस्त (REJECT) अथवा अन्य किसी भी प्रलेख की कमी के कारण परीक्षा में बैठने से रोका गया हो उनके प्रवेशपत्र वेबसाइट पर अपलोड नहीं किये जाएंगे।
4. शाला प्रधान ऐसे परीक्षार्थी जिनका शाला से नाम पृथक/न्यून उपस्थिति, आवेदन पत्र निरस्त अथवा अन्य कारणों से प्रवेश पत्र रोकने की सूचना बोर्ड को अवश्य सूचित करें।
5. शाला द्वारा उपरोक्त सूचनाएँ बोर्ड को समयान्तर्गत उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में बोर्ड द्वारा शाला के समस्त प्रवेश पत्र अपलोड किये जाएंगे। संबंधित शाला प्रधान द्वारा उपरोक्त कमियों वाले प्रवेश पत्रों को अपने स्तर पर रोककर योग्य परीक्षार्थियों को ही प्रवेश पत्र वितरित किये जाए। अयोग्य परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र वितरित करने पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित शाला प्रधान की होगी।
6. केन्द्राधीक्षक परीक्षा हेतु केन्द्र सामग्री शाला को पूर्व प्रदत्त आई.डी. पासवर्ड से डाऊनलोड कर हार्ड कॉपी निकालकर परीक्षार्थी उपयोग में ले सकेंगे।

ध्यान देने योग्य बातें :-

1- अपना User ID (यूजर आई.डी.) तथा Password (पासवर्ड) संभाल कर सुरक्षित रखें। यह गोपनीय है अतः अपना Password (पासवर्ड) किसी को नहीं बतावें।

विशेष - अपना Password (पासवर्ड) वर्षभर संभाल कर रखें। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने तथा पूरक परीक्षा के समय भी यही Password काम आयेगा। यह पासवर्ड तीन वर्ष तक काम आयेगा।

2- प्रथम बार Login (लॉगिन) करने के पश्चात् सुरक्षा की दृष्टि से अपना Password (पासवर्ड) बदल दें।

3- परीक्षार्थियों द्वारा भरे गये परीक्षा आवेदन-पत्रों की सभी प्रविष्टियों का सत्यापन विद्यालय रिकॉर्ड से अवश्य कर लें।

4- चालान फार्म पर दी गई Validity Date (वैध तिथि) का अवश्य ध्यान रखें। इस तिथि के पश्चात् बैंक में शुल्क जमा नहीं होगा। इसके लिये नया चालान फार्म निकलवाना पड़ेगा जो एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का होगा।

5- आवेदन पत्र डाऊनलोड करने के लिये अंतिम तिथि का इन्तजार नहीं करें क्योंकि अंतिम तिथियों में सर्वर व्यस्त होने/वेबसाइट में व्यवधान तथा अन्य कारणों से यदि आवेदन पत्र/शुल्क का चालान नहीं निकल पाया तो इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।

- 6- परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् कम्प्यूटर से मुद्रित चालान के आधार पर ही निर्धारित बैंकों की शाखा में जमा कराया जा सकेगा। अन्य किसी भी चालान से शुल्क जमा नहीं होगा।
- 7- बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने संबंधी सभी निर्देश उपलब्ध हैं उनका भली-भांति अध्ययन कर लें।
- 8- परीक्षा आवेदन-पत्र भरने से पहले बोर्ड द्वारा प्रकाशित विवरणिका वर्ष 2020 का आवश्यक रूप से अध्ययन कर लें। विवरणिका बोर्ड वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- 9- ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने का समस्त व्यय अग्रेषण शुल्क से वहन करना होगा। यदि राशि कम पड़ती है तो शाला को वहन करनी होगी।
- 10- आपको भेजे गये नये 7 अंकों के स्थाई विद्यालय कोड का उपयोग करें। विद्यालय की सील में भी यही कोड रखा जावे।
- 11- अपने नोडल केन्द्रों की जानकारी प्राप्त कर लें। नोडल केन्द्रों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- 12- वेबसाइट पर परीक्षा आवेदन-पत्र भरने में किसी प्रकार की समस्या हो अथवा जानकारी प्राप्त करनी हो तो कन्ट्रोल रूम पर सम्पर्क करें।

विशेष:- जिन नव क्रमोन्नत विद्यालयों को विद्यालय कोड आवंटित नहीं हो पाया है तथा जिनका नाम वेबसाइट की आनलाईन सूची में नहीं है, ऐसे नवक्रमोन्नत विद्यालय राज्य सरकार से नवक्रमोन्नति आदेश के साथ समस्त पत्रावली सहित बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने की कार्यवाही निर्धारित तिथियों में बोर्ड से आई.डी. एवम् पासवर्ड प्राप्त करके आनलाईन ही आवेदन पत्र भर सकेंगे। नव क्रमोन्नत विद्यालयों को भी ऑनलाईन शुल्क जमा कराना अनिवार्य है, उनका परीक्षा शुल्क ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा। नव क्रमोन्नत विद्यालय प्रपत्र 128 में यथा स्थान अपने निकटतम दो परीक्षा केन्द्रों का नाम अवश्य अंकित करें।

1. ऑन लाईन भरे गये मुद्रित आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख अनिवार्यतः संलग्न किये जावें :-

(1) माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा के लिये :-

(i) कक्षा 8 की उत्तीर्ण आठवीं बोर्ड की अंकतालिका/क्रमोन्नत/प्रोन्नत/कक्षोन्नत की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।

(ii) कक्षा-9 की उत्तीर्ण की अंकतालिका, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो की, शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

(iii) इस वर्ष नये प्रवेश परीक्षार्थियों के लिए उपरोक्त के अलावा गत शाला की टी. सी. की वर्तमान शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति

या

(iv) कक्षा-10 की उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण अंकतालिका की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

(2) उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिये :-

(i) कक्षा-10 की एवं कक्षा-11 की उत्तीर्ण की अंकतालिका की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

(ii) इस वर्ष नये प्रवेश परीक्षार्थियों के लिए उपरोक्त के अलावा गत शाला की टी. सी. की वर्तमान शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि।

या

(iii) कक्षा-12 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण अंकतालिका की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

नोट :-

आपके विद्यालय में प्रवेश लेने वाले परीक्षार्थियों की टी. सी. तथा अंकतालिका का प्रमाणीकरण पूर्व शाला से अवश्य करा लें। यदि ये प्रलेख गलत/फर्जी पाये जाते हैं तो शाला प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए शाला के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। इस कार्यवाही में आपकी शाला की सम्बद्धता भी रद्द की जा सकती है।

(3) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी मूल पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।

2. आवेदन पत्रों की पूर्ति के संबंध में ध्यान देने योग्य बिन्दु :-

(1) सभी शाला प्रधानों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि परीक्षार्थियों की सभी सूचनाओं की पुष्टि मूल अभिलेखों अथवा शाला रिकार्ड से कर ली गई है तथा परीक्षार्थियों ने वही विषय लिए हैं जिनमें विद्यालय को मान्यता प्राप्त हैं।

(2) समस्त परीक्षार्थी (जिनमें छात्राएं भी सम्मिलित हैं) अपना नवीनतम फोटो आवेदन-पत्रों पर लगायेंगे। जिसे कम्प्यूटर द्वारा स्कैन किया जायेगा। परीक्षार्थी व विद्यालय प्रधान दोनों को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने हैं। आवक्ष चित्र को स्टेपलर/आलपिन से नहीं लगायें। इसे गोंद से अच्छी तरह चिपकाएं।

(3) अग्रेषण सूची :- आपको कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित अग्रेषण सूची (प्रपत्र सं.-91) दो प्रतियों में प्राप्त होगी। एक प्रति आवेदन पत्रों के साथ नोडल केन्द्र पर जमा करा दें तथा दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखें। अग्रेषण सूचियां निम्नानुसार अलग-अलग बनवायें :-

(i) विज्ञान, कृषि वर्ग :- पहले विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थी, इसके पश्चात् कृषि वर्ग के परीक्षार्थियों के नाम सूची में लिखें।

(ii) कला वर्ग :- कला वर्ग के परीक्षार्थी

(iii) वाणिज्य वर्ग:- वाणिज्य वर्ग के परीक्षार्थी

परीक्षार्थियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखें।

3. आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी का नोडल केन्द्र पर प्रेषण :-

(1) परिशिष्ट-1 में दी गई तालिका के अनुसार परीक्षा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिकृत बैंक की निकटतम शाखा में जमा कराकर चालान रसीदें 3 प्रतियों में प्राप्त कर लें। तालिका में दी गई तिथियों तक निम्नानुसार निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा करा दें-

(अ)	परीक्षा शुल्क अग्रेषण पत्र	(प्रपत्र-128) – दो प्रतियों में)
(ब)	शुल्क चालान रसीद	इसमें अतिरिक्त विषय (परिशिष्ट 4) तथा प्रायोगिक परीक्षा शुल्क भी शामिल करें
(स)	अग्रेषण सूची	वर्ग वार (परिशिष्ट 3 के अनुसार)
(द)	ऑन लाईन भरे गये मुद्रित आवेदन पत्र	अग्रेषण सूची के अनुसार वर्गवार
(य)	पात्रता प्रमाण-पत्र (मूल)	अन्य बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण

- नोट :- (i) आवेदन पत्रों और कम्प्यूटर डाटा फार्म को बिना मोड़े सीधे रखकर ही पार्सल बनाएं।
(ii) ऐसे अस्थाई आवेदन पत्र (Provisional Form) जो चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा कराने के पूर्व डाउनलोड किये जाते हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जावेगा।
(iii) प्रपत्र-128 तीन प्रतियों में बनावें। दो प्रति आवेदन पत्रों के साथ लगावें तथा तीसरी प्रति पर नोडल विद्यालय से रसीद प्राप्त करें।
(iv) आवेदन-पत्रों की हार्ड कॉपी परीक्षा शुल्क की चालान रसीदों का एक ही पैकेट बना कर निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा करावें इन्हें पृथक-पृथक नहीं करें। बोर्ड में डाक द्वारा सीधे प्रेषित आवेदन-पत्र/शुल्क की चालान रसीदें स्वीकार नहीं की जायेगी।

परिशिष्ट - 4

1. विद्यालय/केन्द्र/वर्ग/श्रेणी/विषय परिवर्तन :-

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय/व्यावसायिक परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र बोर्ड में प्राप्त होने के पश्चात अभिभावक के स्थानान्तरण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र/विद्यालय/विषय/श्रेणी/वर्ग/परिवर्तन करना चाहे तो नियमित परीक्षार्थी विद्यालय के माध्यम से निर्धारित अवधि एवं शुल्क सहित आवेदन कर सकेंगे।

नोट :- कटेगरी 2 में प्रविष्ट छात्र गत वर्ष में पूर्व प्रविष्ट विषयों में ही परीक्षा दे सकेंगे विषय परिवर्तन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।

(1) केन्द्र/विद्यालय/वर्ग/विषय/श्रेणी परिवर्तन हेतु एक परीक्षा शुल्क सहित आवेदन :- अंतिम तिथि - 31 दिसम्बर 2019 तक

(केन्द्र परिवर्तन केवल विशेष परिस्थिति यथा स्थान परिवर्तन/विद्यालय परिवर्तन/प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ही स्वीकार्य है)

- (i) नियमित परीक्षार्थी द्वारा विद्यालय परिवर्तन करने पर चाहे उसका केन्द्र परिवर्तन हो या न हो उसे एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क देना होगा।
- (ii) 31 दिसम्बर के बाद सामान्यतः केन्द्र परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- (iii) परीक्षार्थी आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् यदि परीक्षार्थी विषय परिवर्तन करना चाहे तो निम्नानुसार विषय परिवर्तन कर सकेगा।
 1. 31 दिसम्बर तक प्रति विषय परिवर्तन हेतु एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 2. 31 दिसम्बर के पश्चात् बोर्ड स्तर / परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न-पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में 1000/- रुपये शास्ति शुल्क प्रति विषय एवं दुगुने परीक्षा शुल्क सहित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. केन्द्र पर प्रश्न-पत्र उपलब्ध नहीं होने पर विषय परिवर्तन शुल्क प्रति विषय रुपये 3000/- शास्ति एवं दुगुना परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। परीक्षार्थी को बोर्ड परीक्षा प्रारम्भ होने से तीन दिवस पूर्व विषय परिवर्तन एवं शुल्क की सूचना बोर्ड को व्यक्तिशः देनी होगी अन्यथा उसका किसी भी परिस्थिति में विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यह परीक्षा शुल्क परीक्षा केन्द्रों पर जमा नहीं होगा। केवल बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिशः जमा कराना होगा।
4. नियमित परीक्षार्थी के लिए विद्यालय से यह प्रमाणित होने पर कि परीक्षार्थी ने वर्ष भर वही विषय पढ़ा है तथा अर्द्ध वार्षिक परीक्षा, तीनों परख एवं प्रायोगिक परीक्षा भी उसी विषय में दी है जिसका वह परिवर्तन चाहता है उसे निर्धारित शुल्क के साथ विषय परिवर्तन की अनुमति दी जा सकेगी।
5. प्रायोगिक विषयों के लिये प्रति विषय 100/- रुपये अतिरिक्त जमा कराना होगा।

- नोट :- (i) नियमित परीक्षार्थियों के लिए केन्द्र परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र संबंधित विद्यालय के माध्यम से भेजना आवश्यक है, इस प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व विद्यालय की टी. सी. वर्तमान विद्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र एवं एस. आर. की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति शुल्क सहित संलग्न कर बोर्ड को भेजना आवश्यक है।
(ii) दिव्यांग (निःशक्त) छात्र द्वारा यदि केन्द्र/विषय/वर्ग/श्रेणी/विद्यालय परिवर्तन किया जाता है तो उपरोक्त निर्धारित तिथि अनुसार अतिरिक्त परीक्षा शुल्क देना होगा। शेष नियम उपरोक्तानुसार लागू होंगे।
(iii) यदि उपरोक्त नियमों की पालना नहीं की जाती है तो परीक्षार्थी का केन्द्र परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा। बिना शुल्क के प्रेषित प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
(iv) बोर्ड परीक्षा का आवेदन पत्र भरने के बाद बोर्ड नियमानुसार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय की अनुमति के बिना कोई छात्र विद्यालय को छोड़कर उसी नगर के किसी अन्य विद्यालय में उसी सत्र में प्रवेश नहीं ले सकेगा। अतः बिना जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति के ऐसे स्थानान्तरण पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

- (v) नव क्रमोन्नत विद्यालय अपने जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय से परीक्षा केन्द्रों हेतु दो स्थानों का अनुमोदन, भरवाकर **Online** सूचना में भरें। बोर्ड से सम्बद्धता/नव क्रमोन्नति आदेशों की फोटो प्रति लगानी आवश्यक है।
- (vi) जिन विद्यालयों का परीक्षा केन्द्र 10 कि.मी. अधिक दूरी पर है वे जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय से सम्पर्क कर इसका समाधान करावे।

परिशिष्ट - 5

1. बोर्ड परीक्षाओं में नियमित परीक्षार्थियों को प्रवेशाज्ञा के सामान्य नियम :-

(1) नियमित परीक्षार्थी निम्नांकित परीक्षा श्रेणियों (Category) में आवेदन कर सकते हैं :-

श्रेणी I- सम्पूर्ण विषयों में प्रथम बार प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी भी श्रेणी I में ही प्रवेश योग्य होंगे।

श्रेणी II- Category 1 में गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षार्थी श्रेणी सुधार हेतु गत वर्ष में लिये गये सम्पूर्ण विषयों में पुनः सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए। इस श्रेणी में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी स्थिति में विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। श्रेणी 2 में निरन्तरता वर्ष में केवल एक अवसर ही देय होगा।

श्रेणी IV- मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अतिरिक्त विषय संबंधी नियम :-

1. उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को इस परीक्षा के किसी भी संकाय में कोई भी एक अतिरिक्त विषय के रूप में लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
2. वरिष्ठ उपाध्याय उत्तीर्ण परीक्षार्थी को वरिष्ठ उपाध्याय से संबंधित विषयों में ही एक अतिरिक्त विषय के रूप में लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
3. प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को प्रवेशिका से संबंधित विषय तथा माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को माध्यमिक परीक्षा से संबंधित अन्य तृतीय भाषा में अतिरिक्त विषय लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
4. बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रविष्ट होने के पश्चात् उच्च परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी बोर्ड की उ.मा. परीक्षा में अतिरिक्त विषय के रूप में यदि परीक्षार्थी ऐसे विषय का चयन करता है जो उसने पूर्व में नहीं लिया है तथा उस विषय में उच्च अध्ययन नहीं किया है तो उ.मा. परीक्षा के केवल संबंधित वर्ग की उपलब्ध विषय सूची अनुसार अतिरिक्त विषय के रूप में श्रेणी 4 में प्रवेशाज्ञा प्रदान की जायेगी।

श्रेणी V- प्राच्य भाषा की कोई परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को केवल अंग्रेजी अथवा हिन्दी अनिवार्य में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।

श्रेणी VI- अंक सुधार में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को पूर्व के वर्ग एवं विषयों में (लेकिन सम्पूर्ण विषयों में नहीं) संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण के निरन्तरता के वर्ष में केवल एक अवसर देय होगा। वर्ष 2020 की परीक्षा में श्रेणी 6 में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा (श्रेणी 1 सम्पूर्ण विषयों में प्रविष्ट) की मूल अंकतालिका की प्रति संलग्न करनी होगी। वर्ष 2020 में श्रेणी 6 में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों द्वारा श्रेणी 6 के विषयों के प्राप्तांको तथा शेष विषयों के पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांको को जोड़ते हुए एकीकृत अंकतालिका मय प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। श्रेणी-6 में अनुत्तीर्ण होने पर केवल वर्तमान विषयों की अंकतालिका प्रदान की जायेगी।

श्रेणी VIII-श्रेणी 8 में वे ही अभ्यर्थी प्रवेश योग्य होंगे जो कक्षा 12 उत्तीर्ण हो एवम् वर्ग परिवर्तित कर पुनः कक्षा 12 में सम्पूर्ण विषयों में आवेदन कर रहे हों। श्रेणी 8 में प्रवेश के लिये उत्तीर्ण वर्ष की निरन्तरता में आवेदन करना आवश्यक नहीं है।

श्रेणी 8 में वे अभ्यर्थी आवेदन करने योग्य नहीं होंगे जिन्होंने पूर्व वर्षों में श्रेणी 8 में आवेदन किया था चाहे वे किसी कारण से परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं या अनुत्तीर्ण रहे हैं या अन्य किसी कारण से परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हुए हैं। इस श्रेणी में केवल एक अवसर देय होगा। श्रेणी 8 में आवेदन करने वाले परीक्षार्थी को एक शपथ पत्र देना होगा कि उक्त परीक्षा पश्चात् अन्तराल अवधि में उसने उच्च कक्षा में अध्ययन नहीं किया है। गलत शपथ पत्र देने पर उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।

विशेष :- (i) श्रेणी सुधार (Category 2)/अंको में सुधार (Category 6)/वर्ग परिवर्तन (Category 8) हेतु केवल इस बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को ही केवल एक अवसर निरन्तरता में (श्रेणी 8 को छोड़कर) उन्ही विषयों में प्रदान किया जावेगा। चाहे वे आवेदन पत्र भरकर अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण या अन्य किसी कारणों से परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हुए हों। अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को श्रेणी सुधार (श्रेणी 2)/अतिरिक्त विषय (श्रेणी 4)/अंको में सुधार (श्रेणी 6) व वर्ग परिवर्तन (श्रेणी 8) हेतु प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(ii) केवल इस बोर्ड से 10+2 स्कीम से परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अतिरिक्त विषयों हेतु प्रविष्ट हो सकेंगे।

(iii) यदि पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षार्थी ने त्रुटिवश श्रेणी 1 भरकर विषय परिवर्तित कर दिये तो भी छात्र को श्रेणी 2 (श्रेणी सुधार) में पूर्व विषयों में ही पंजीकृत कर प्रवेशाज्ञा प्रदान की जावेगी। अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। श्रेणी 2 के साथ विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थी जीवविज्ञान/गणित या संस्कृत साहित्य में से कोई एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकेंगे। कृषि/कला/वाणिज्य वर्ग के परीक्षार्थी सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकेंगे।

- (2) इस बोर्ड या अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी/वरिष्ठ उपाध्याय/प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को एक बार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद उसी परीक्षा में दोबारा श्रेणी । में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जावेगी ।
- (3) श्रेणी सुधार अथवा अंकों में सुधार या अतिरिक्त विषय के लिए नियमित परीक्षार्थी के रूप में केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रेषित किये जाएं जो इस वर्ष नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। गत वर्ष के आधार पर उन्हें नियमित नहीं माना जायेगा ।
- (4) उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को जीव विज्ञान अथवा गणित एवं संस्कृत साहित्य विषय में से किसी एक विषय को अतिरिक्त रूप से अपनी नियमित मुख्य परीक्षा के साथ देने की सुविधा प्रदान की गई है। विज्ञान वर्ग में उक्त विषय के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग में से कोई एक विषय का चयन अतिरिक्त विषय के रूप में किया जा सकेगा। अतः जो परीक्षार्थी चौथा अथवा पांचवा विषय भी लेना चाहे, निर्धारित कॉलम में अपना विषय अंकित करें। अतिरिक्त विषय में बैठने के लिए प्रति अतिरिक्त विषय के लिए शुल्क रु. 600/- अलग से देना होगा। ऐसे परीक्षार्थी, इन विषयों की परीक्षा एक सत्र में एक साथ दे सकते हैं। जो परीक्षार्थी संस्कृत साहित्य विषय लेंगे उनके लिए संस्कृत कला वर्ग (वैकल्पिक) का पाठ्यक्रम/परीक्षा योजना रहेगी। नियमित परीक्षार्थियों को अतिरिक्त लिए गये विषयों का अध्ययन स्वयं के स्तर पर करना होगा एवं उनकी प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा ली जाएगी। यह अतिरिक्त विषय की सुविधा केवल विज्ञान संकाय के स्वयंपाठी/नियमित परीक्षार्थियों को ही देय होगी। कृषि/कला/वाणिज्य संकाय के परीक्षार्थियों को तीन वैकल्पिक विषयों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकेंगे।
- (5) परीक्षार्थी विषयों के चयन हेतु बोर्ड द्वारा प्रकाशित विवरणिका 2020 का अध्ययन करें। यह बोर्ड की वेबसाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
- (6) उच्च माध्यमिक परीक्षा में ऐसे सभी नियमित परीक्षार्थियों को जो श्रेणी 2 के अन्तर्गत परीक्षा में पुनः प्रविष्ट हो रहे हों अथवा श्रेणी 6 के अन्तर्गत अंकों में सुधार हेतु परीक्षार्थी आवेदन कर रहे हो अथवा गत वर्ष में अनुत्तीर्ण रहने पर पुनः परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हो, उन्हें पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण प्रायोगिक परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होना अनिवार्य होगा चाहे वे पहले प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हों।
- (7) परीक्षार्थियों को यह संदेश देवें कि जिन विषयों का वे विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं वे आवेदन-पत्र में उनका ही उल्लेख करें। ये विषय वही होने चाहिए जिनमें विद्यालय को मान्यता प्राप्त है। यदि किसी विषय में परीक्षार्थी को स्वअध्ययन की अनुज्ञा दी गई है तो, आवेदन पत्र व सूची में उसका अंकन करते समय इस बात का उल्लेख कर दें। उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिये स्व अध्ययन की अनुज्ञा बोर्ड से लिखित में प्राप्त करना आवश्यक है तथा प्राप्त की गई अनुज्ञा की प्रति आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी। विद्यालय स्तर पर स्वअध्ययन की अनुज्ञा नहीं दी जाए। अतः सत्र प्रारम्भ होते ही ऐसे प्रकरणों को बोर्ड को प्रेषित किये जाएं। निम्नांकित स्थिति में निम्नानुसार अनुमति दी जा सकती है :-
- (i) यदि किसी विद्यालय की कक्षा-9 व 10 में तृतीय भाषा के स्वीकृत विषयों में से कोई विषय उस विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा है, और विद्यार्थी उस विषय को अध्ययन एवं परीक्षा हेतु लेना चाहता है तो उस विद्यार्थी को तृतीय भाषा विषय में स्व-अध्ययन की अनुमति शाला प्रधान द्वारा दी जा सकती है।
- (ii) कक्षा-11 या 12 में अधिकतम एक विषय में स्व अध्ययन की अनुमति शाला प्रधान की अनुशंसा पर बोर्ड कार्यालय द्वारा दी जा सकती है। किन्तु जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित है, उन विषयों में सामान्यतः स्व-अध्ययन की अनुमति नहीं दी जायेगी, किन्तु निम्नांकित विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित होने पर भी स्व-अध्ययन करने की अनुज्ञा उपरोक्तानुसार प्रदान की जा सकती है :-
- (अ) संगीत (कला वर्ग) (ब) गृह विज्ञान (कला वर्ग) (स) टंकण लिपि (वाणिज्य वर्ग)
- (द) सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग
- (iii) स्वअध्ययन शुल्क हेतु परिशिष्ट 6 बिन्दु 9 देखें।
- (iv) माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी प्रवेशिका/माध्यमिक परीक्षा में तथा उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि वरिष्ठ उपाध्याय/उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है तो उसे प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी।
- (8) प्रवेशिका परीक्षा में वे ही नियमित परीक्षार्थी प्रवेश योग्य होंगे जिसने कक्षा-9 की संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसी प्रकार वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में भी वे ही परीक्षार्थी प्रवेश योग्य होंगे जिसने कक्षा-11 की संस्कृत विषय सहित परीक्षा उत्तीर्ण की है। ऐसे विद्यार्थियों को पूर्व कक्षा नवीं/ग्यारहवीं की अंकतालिका आवेदन पत्र के साथ लगाना आवश्यक होगा।
- (9) उच्च माध्यमिक परीक्षा में कला वर्ग के अन्तर्गत संगीत विषय लेने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों में संगीत विषय के साथ उनकी विधा भी लिखनी है। जैसे संगीत विषय में कोई परीक्षार्थी कण्ठ संगीत की विधा लेता है तो आवेदन पत्र में संगीत कण्ठ लिखा जायेगा तथा यदि कोई परीक्षार्थी वाद्य संगीत में कोई वाद्य लेता है तो आवेदन पत्र में संगीत के आगे वाद्य तथा कोई परीक्षार्थी नृत्य लेता है तो संगीत के आगे नृत्य कोष्ठक में लिखा जायेगा। इसी प्रकार सितार या वायलिन या बांसुरी या सरोद या इसराज या दिलरूबा में से जिसका चयन किया गया वही लिखा जायेगा। इनके कोड नम्बर आप कोड लिस्ट से देख लें।
- (10) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय/व्यावसायिक परीक्षा हेतु परीक्षार्थी आवेदन करने वाले सभी श्रेणी (श्रेणी II सहित) के परीक्षार्थियों को इसी सत्र की परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम व परीक्षा योजनानुसार परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा।
- (11) उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थी भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों में अंग्रेजी अथवा हिन्दी के माध्यम में उत्तर लिख सकेंगे। माध्यमिक परीक्षा के परीक्षार्थी अंग्रेजी अथवा हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू अथवा सिन्धी भाषा में उत्तर लिख सकेंगे। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में परीक्षार्थियों को उसी भाषा में या प्रश्न पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही उत्तर देना होगा।
- (12) आवेदन पत्रों के साथ विद्यालय प्रधान को इस आशय का प्रमाण भी देना होगा कि जो आवेदन पत्र अग्रेषित किये हैं उनमें अंकित विषय/वर्ग एवं परीक्षा में विद्यालय बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त है। इस प्रमाण पत्र के साथ सम्बद्धता प्राप्त करने के बोर्ड के पत्रों की सत्यापित फोटोस्टेट प्रतिलिपि भी संलग्न करें।

- (13) राज्य सरकार के निर्देशानुसार मूक बधिर परीक्षार्थियों को माध्यमिक परीक्षा में तृतीय भाषा एवं उच्च माध्यमिक में अंग्रेजी (अनिवार्य) विषय में छूट प्रदान की गई है। यदि मूक बधिर विद्यालय में छात्र अध्ययनरत हैं तो वे मूक बधिर परीक्षार्थियों हेतु विशेष उन्हीं के लिये बनाये गये प्रश्न पत्र आधारित प्रणाली से परीक्षा देना चाहते हो तो शाला द्वारा पूर्व में सूचना दी जानी आवश्यक है।
- (14) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र इस बोर्ड की श्रेणी सुधार/अंक सुधार/अतिरिक्त विषय एवं वर्ग परिवर्तन (श्रेणी 8) हेतु प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे उनको विद्यालय में प्रवेश नहीं दें।
- (15) वर्ष 2011 की परीक्षा से नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों के लिये आयु प्रतिबंध समाप्त कर दिये गये हैं।
- (16) जिन परीक्षार्थियों को इस बोर्ड द्वारा अथवा अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2019 अथवा इससे आगे की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया हो उनके आवेदन पत्र किसी भी परीक्षा के लिए न भेजें।
- (17) चेतावनी :- आप केवल अपने ही विद्यालय में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रेषित करें। यदि आपने किसी असम्बद्धता प्राप्त विद्यालय के अथवा ब्रांच के आवेदन पत्रों को अग्रेषित किया तो इसकी लिखित रिपोर्ट, आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, बीकानेर को दी जायेगी व इसे अपराध माना जाकर इसके लिए वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी तथा आपके विद्यालय की सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी। आप द्वारा अग्रेषित सभी आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी।
- (18) विद्यालय से समय पर न्यून उपस्थिति प्रपत्र प्राप्त नहीं होने पर सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जावेंगे। न्यून उपस्थिति वाले एवं नाम पृथक छात्रों के प्रवेश पत्र छात्र को नहीं देने (DETAIN) की जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी। उपस्थिति न्यूनता प्रपत्र में रोके गये प्रवेश पत्रों की सूचना परीक्षा से 10 दिन पूर्व बोर्ड कार्यालय को भिजवाना अनिवार्य है।
- (19) निम्नांकित बिन्दुओं को भी दृष्टिगत रखें :-
- (1) कृपया इस कार्यालय द्वारा आपको पूर्व में भेजी गई अनुदेशिका को भी प्रवेश, परीक्षा पात्रता आदि के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ें और कार्यवाही करें। माध्यमिक/प्रवेशिका तथा उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा वर्ष 2020 के समस्त परीक्षार्थियों के परीक्षार्थ आवेदन पत्र पर यथा स्थान आपको यह प्रमाणित करना होगा कि परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट होने की समस्त योग्यता रखता/रखती है और उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा वर्ष 2020 के लिए यह प्रमाणीकरण भी साथ ही करना होगा कि परीक्षार्थी राजस्थान के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्रवर्जित होकर नहीं आया/आई है तो उसका पात्रता प्रमाण पत्र बोर्ड से प्राप्त कर लिया गया है, जो मूल रूप से संलग्न है।
 - (2) नियमित रूप से प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों को 20 प्रतिशत सत्रांक बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति अनुसार दिये जायेंगे। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि नियमित रूप से पुनः प्रविष्ट हो रहा है तो इस वर्ष प्राप्त सत्रांक दिये जायेंगे। गत वर्ष के सत्रांकों की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। स्वअध्ययन की अनुज्ञा प्राप्त परीक्षार्थियों को केवल उस विषय में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के समान अनुपातिक रूप से अंक प्रदान किये जायेंगे।
 - (3) विद्यालय प्रधानों/अग्रेषण अधिकारी/केन्द्राधीक्षकों को निश्चित कोड आवंटित किया गया है जिसमें जिले, विद्यालय का स्तर आदि की सूचनाएं सम्मिलित होंगी। सभी विद्यालय प्रधान रबड़ सील तैयार करवा लें जिसमें यह कोड भी सम्मिलित किया जाये। बोर्ड से पत्र व्यवहार करते समय भी इस सील का प्रयोग किया जाये।
- (20) विस्तृत जानकारी के लिये विवरणिका वर्ष 2020 अवश्य देखें। सूचना बोर्ड वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट - 6

अन्य प्रमुख निर्देश

- (1) (अ) माध्यमिक परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट होकर अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को माध्यमिक परीक्षा में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे परीक्षार्थियों को कक्षा 9 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
- (ब) उच्च माध्यमिक परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट होकर अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को उच्च माध्यमिक परीक्षा में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे परीक्षार्थियों को कक्षा-11 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
- (2) कक्षा 9 से 12 तक पुनः प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा के बन्धन को समाप्त कर दिया गया है।
- (3) नियमित परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु उपस्थिति में शाला प्रधान को प्रदत्त छूट 15 मीटिंग्स से बढ़ाकर 25 मीटिंग्स कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अब कोई छूट बोर्ड स्तर पर नहीं दी जायेगी। शाला प्रधान कुल 25 मीटिंग्स तक की छूट अपने स्तर पर देकर इसकी पुष्टि बोर्ड से करायेंगे।
- (4) दृष्टिबाधित, सूर्यमुखी, सेरीब्रल पाल्सी, पोलियो, लकवा, जन्मजात विकलांगता तथा मायोपिया के अतिरिक्त इस वर्ष से विमंदिता, अधिगम अक्षम, परीक्षार्थियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षा हेतु अतिरिक्त समय/श्रुतलेखक दिया जायेगा। श्रुतलेखक की स्थिति में भी एक घंटा अतिरिक्त समय देय योग्य होगा। विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को प्रत्येक परीक्षा में 20 मिनट प्रति घण्टा के अनुसार अतिरिक्त समय दिया जायेगा। यदि आपके विद्यालय में कोई दिव्यांग परीक्षार्थी यह सुविधा लेना चाहे तो परिशिष्ट-8 पर संलग्न प्रारूप में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपनी अनुशंसा सहित मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र परीक्षा प्रारम्भ के दो माह पूर्व कार्यालय को भेजें। 40 प्रतिशत से अधिक एवं 74 प्रतिशत तक अतिरिक्त समय एवं 75 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत से अधिक विकलांगता तथा लिखने में असमर्थ होने पर त्रुतिलेखक देय होगा।

- (5) न्यायालय प्रकरण में परीक्षा आरम्भ होने की तिथि से सात दिवस पूर्व तक न्यायालय के आदेश एवं परीक्षा आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त हो जाते हैं तो इनकी परीक्षा व्यवस्था परीक्षार्थियों की सुविधानुसार इनके क्षेत्र में कर दी जायेगी। अन्यथा परीक्षार्थियों को अजमेर मुख्यालय के किसी केन्द्र पर परीक्षा देनी होगी।
- (6) बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र ऑनलाईन अपलोड किये जाते हैं जिन्हें शाला प्रधानों द्वारा पूर्व प्रदत्त आई.डी. पासवार्ड से वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रवेश पत्रों की हार्ड कॉपी प्रमाणित करने के पश्चात अयोग्य परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र रोकते हुए परीक्षार्थियों को वितरित किये जाएंगे।
- (7) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् परीक्षार्थियों के प्रलेख शालाओं को डाक द्वारा विलम्ब से पहुंचने/अप्राप्त रहने की शिकायतों को मध्य नजर रखते हुए परिणाम घोषणा की तिथियों के अनुसार बोर्ड प्रलेखों को नोडल केन्द्रों पर प्रेषित किये जाएंगे। जहां से सम्बन्धित शाला प्रधान अथवा अपने शाला प्रतिनिधि को भेजकर मूल प्रलेख प्राप्त करेंगे तथा शीघ्र परीक्षार्थियों को वितरित कर सकेंगे।
- (8) परीक्षा से पूर्व यदि बीच वर्षों में अध्ययन हेतु अन्तराल रहा हो तो परीक्षार्थी को अन्तराल वर्षों का कारण सहित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

विशेष नोट :- निजी संस्था प्रधान अपने विद्यालय का वार्षिक शुल्क (बोर्ड सम्बद्धता) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकर किये जा सकते हैं।

- (9) शाला में छात्र संख्या 1 से 10 तक होने पर प्रति परीक्षार्थी एक परीक्षा शुल्क की राशि लेकर स्वअध्ययन की अनुज्ञा दी जाएगी। इसका शुल्क परीक्षा शाखा द्वितीय द्वारा प्राप्त किया जाएगा। छात्र संख्या 10 से अधिक होने पर कार्यालय द्वारा जारी आदेश :- परीक्षा-11/पात्रता/2851 दिनांक 30.05.2012 के अनुसार विभिन्न विद्यालयों में छात्रों को स्वअध्ययन की अनुमति देने हेतु प्रथम वर्ष में विद्यालय पर प्रति छात्र रु 2000/- की (छात्र संख्या-10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी तथा अगले वर्ष वही विद्यालय त्रुटि दोहराता है तो उस पर प्रति छात्र रु 10000/- की (छात्र संख्या-10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी। शाला को जिन विषयों में मान्यता है उसकी फोटो संलग्न करें तथा **Data Profile** में भी अवश्य भरें।
- (10) असाधारण परीक्षा शुल्क से आवेदन पत्र भरने की तिथि तक स्वअध्ययन की अनुज्ञा दी जावेगी। इस तिथि के पश्चात विलम्ब से प्राप्त होने वाले स्वअध्ययन के प्रकरणों को उच्चधिकारियों के आदेशों एवं निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर परीक्षा द्वितीय शाखा द्वारा अनुज्ञा दी जा सकेगी।

परिशिष्ट - 7

समस्त शाला प्रधानों को निर्देश
(विद्यालय के माध्यम से मूल निवास व जाति प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु)

“बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा के आवेदन पत्रों को अप्रेषित करते समय, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.9(9) राज/ग्रुप-6/2002/2 दिनांक 18.3.2002 (अप्रैल 2002 के लेखाविज्ञ में भी प्रकाशित) द्वारा जारी निर्देशानुसार परीक्षार्थियों से जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर लें और उन्हें संबंधित राजस्व अधिकारियों के पास प्रेषित करें ताकि जब बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हो तो उन्हें अंक तालिका के साथ ही जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र वितरित कर दिया जाये। इस मामले में कोई कोताही नहीं की जाये”।

विशेष :- जिन परीक्षार्थियों ने आपके विद्यालय में अन्य किसी विद्यालय से स्थानान्तरित हो कर प्रवेश लिया है, उनकी पूर्व विद्यालय की टी. सी. तथा अंकतालिका का प्रमाणीकरण जारी करने वाले विद्यालय/संस्था से अवश्य करा लें। यदि फर्जी प्रलेखों के आधार पर प्रवेश पाया गया तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सामान्य निर्देश :-

- (1) परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जन्म तिथि/नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम में किये गये संशोधन प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक संशोधन आदेश स्वीकार किये जावेगें। उसके पश्चात् किये गये संशोधन आदेश स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी उपरोक्त संशोधन कक्षा प्रथम से ही शाला रिकार्ड में अंकित सूचना के आधार पर कर सकते हैं। शपथ पत्र, राशन कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड के आधार पर कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जि.शि. अधि. उपरोक्त संशोधन शाला के सम्पूर्ण दस्तावेज/प्रलेख की भलीभांति जाँच उपरान्त ही करें।
- (2) बोर्ड अधिवेशन दिनांक 22.04.2017 के प्रस्ताव संख्या 10 एवं परीक्षा समिति दिनांक 20.04.2017 के प्रस्ताव संख्या 6 के अनुसार बोर्ड परीक्षा 2020 से परीक्षार्थियों के फोटो संशोधन के प्रकरणों पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावें।
1. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की समस्त तिथियाँ समाप्त होने के पश्चात बोर्ड द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में ऑनलाईन संशोधन हेतु विज्ञापित जारी कर 15 दिवस का समय दिया जाता है। इस अवधि में विद्यालय द्वारा ऑनलाईन फोटो संशोधन निशुल्क किया जा सकेगा।
 2. उक्त अवधि के पश्चात परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व तक शालाओं द्वारा फोटो संशोधन रु. 200/- प्रति संशोधन शुल्क तथा संशोधित फोटो प्रमाणित कर भेजने पर बोर्ड कार्यालय द्वारा संशोधन किया जावेगा।
 3. परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र पर फोटो में त्रुटि पाये जाने पर शाला प्रधान प्रमाणित संशोधित फोटो, संशोधन शुल्क रु. 200/- प्रति संशोधन बोर्ड को तुरन्त स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से भेजे जिसको बोर्ड कार्यालय में फोटो संशोधन कराया जा सके। शाला प्रधान प्रवेश पत्र पर संशोधित फोटो लगाकर प्रमाणित करेंगे तथा इसका पत्र मय संशोधित

फोटो के संबंधित केन्द्राधीक्षक को भी भेजेगें तथा संबंधित केन्द्राधीक्षक भी परीक्षार्थी का एक संशोधित फोटो उपस्थिति पत्रक पर लगाकर प्रमाणित करेंगे।

4. बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी स्थिति में फोटो संशोधन स्वीकार नहीं किया जावेगा परन्तु यदि बोर्ड स्तर पर परीक्षार्थी के फोटो में कोई त्रुटि हो तो उसमें संशोधन किया जा सकेगा।
- (3) ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में बोर्ड की विज्ञापित वर्णित अवधि में ऑनलाईन संशोधन अवश्य करें। आवेदन पत्रों में संशोधन की निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले संशोधनों पर बोर्ड द्वारा नियमानुसार शुल्क लिया जायेगा।
- (4) विद्यार्थी अपना वर्ग/जाति कोड संख्या सही-सही भरें। यदि जाति कोड संख्या गलत भरी हुई है या कॉलम रिक्त छोड़ा है, तो इसमें संशोधन हेतु दी गयी अवधि पश्चात् परीक्षा परिणाम सूची में विद्यार्थियों के जाति/वर्ग में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। संस्था प्रधान/अग्रेशन अधिकारी विद्यार्थियों से प्राप्त प्रमाण-पत्रों में जाति/वर्ग का अनिवार्यतः सत्यापन कर लें।
- (5) बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र में जो जाति श्रेणियां दी गयी है 1. अल्पसंख्यक 2. अनूसूचित जाति 3. अनुसूचित जनजाति 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 5. विशेष पिछड़ा वर्ग, विद्यार्थी उनमें से केवल किसी एक श्रेणी का ही चयन कर सकता है। अतः जो विद्यार्थी एक से अधिक श्रेणी (Caste Category) से सम्बन्धित है तो उनमें से एक ही वर्ग जिसमें आप लाभ लेना चाहते हैं उस वर्ग का अंकन करें। बोर्ड परीक्षा परिणाम की वरिष्ठता सूची के आधार पर दिये जाने वाले पुरस्कार या छात्रवृत्तियाँ या किसी अन्य लाभ के लिये इस वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्ग का होने पर भी आपकी गणना इसी वर्ग (बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र में भरे गये जाति कोड) में ही की जायेगी तथा परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि के पश्चात् इसमें किसी प्रकार के संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (6) आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड की प्रमाणित प्रति लगाकर आधार/भामाशाह कार्ड क्रमांक को आवेदन पत्र में अंकित करें। यह स्वैच्छिक है।

परिशिष्ट-8

विषयवार कोड लिस्ट		(उच्च माध्यमिक परीक्षा) वर्ष 2020			
अनिवार्य विषय (सभी वर्गों में)		कोड	वाणिज्य वर्ग (ऐच्छिक विषय)		कोड
1.	हिन्दी	01	1.	लेखाशास्त्र (अनिवार्य)	30
2.	अंग्रेजी	02	2.	व्यवसाय अध्ययन (अनिवार्य)	31
			3.	व्यावसायिक ट्रेड विषय कोड सहित (कोई एक) # 1. ऑटोमोबाइल (101) 2. सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102) 3. स्वास्थ्य देखभाल (103) 4. IT&ITES (104) 5. रिटेल (105) 6. ट्रेवल एण्ड टयूरिजम (106) 7. सिक्योरिटी (107) 8. Apparel Made up & Home Furnishing (108) 9. Electricals & Electronics (109) 10. Micro irrigation technician (Agriculture) (110) इस विषय को केवल वे ही विद्यार्थी चयन कर सकते हैं जिन्होंने इस विषय में कक्षा 10 एवं 11 उत्तीर्ण की हो। इस विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में भी लिया जा सकता है।	
1.	कला वर्ग (ऐच्छिक विषय)		4.	सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग #	03
	सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग #	03	5.	हिन्दी शीघ्रलिपि व टंकणलिपि हिन्दी	32 व 34
			6.	अंग्रेजी शीघ्रलिपि व टंकणलिपि अंग्रेजी	33 व 35
2.	लोक प्रशासन	06	7.	टंकणलिपि हिन्दी व टंकणलिपि अंग्रेजी	34 व 35
3.	अर्थशास्त्र	10	8.	अर्थशास्त्र	10
			9.	गणित	15
			10.	पर्यावरण विज्ञान #	61
4.	राजनीति विज्ञान	11	विज्ञान वर्ग (ऐच्छिक विषय)		
5.	व्यावसायिक ट्रेड विषय कोड सहित (कोई एक) # 1. ऑटोमोबाइल (101) 2. सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102) 3. स्वास्थ्य देखभाल (103) 4. IT&ITES (104) 5. रिटेल (105) 6. ट्रेवल एण्ड टयूरिजम (106) 7. सिक्योरिटी (107) 8. Apparel Made up & Home Furnishing (108) 9. Electricals & Electronics (109) 10. Micro irrigation technician (Agriculture) (110) इस विषय को केवल वे ही विद्यार्थी चयन कर सकते हैं जिन्होंने इस विषय में कक्षा 10 एवं 11 उत्तीर्ण की हो। इस विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में भी लिया जा सकता है।		1.	भौतिक विज्ञान (अनिवार्य) #	40
6	संस्कृत साहित्य	12	2.	रसायन विज्ञान (अनिवार्य) #	41
			3.	व्यावसायिक ट्रेड विषय कोड सहित (कोई एक) # 1. ऑटोमोबाइल (101) 2. सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102) 3. स्वास्थ्य देखभाल (103) 4. IT&ITES (104) 5. रिटेल (105) 6. ट्रेवल एण्ड टयूरिजम (106) 7. सिक्योरिटी (107)	

				8. Appeal Made up & Home Furnishing (108) 9. Electricals & Electronics (109) 10. Micro irrigation technician (Agriculture) (110) इस विषय को केवल वे ही विद्यार्थी चयन कर सकते हैं जिन्होंने इस विषय में कक्षा 10 एवं '11 उत्तीर्ण की हो। इस विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में भी लिया जा सकता है।		
7.	इतिहास	13		4.	सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग #	03
8.	भूगोल #	14				
9.	गणित	15				
10	कंठ संगीत #	16	क्रम संख्या 10 में से कोई एक विषय	5.	गणित	15
	अथवा			6	जीव विज्ञान #	42
	(1) वाद्य संगीत (तबला) #	63		7	भू विज्ञान #	43
	(2) वाद्य संगीत (पखावज) #	64		8.	पर्यावरण विज्ञान #	61
	(3) वाद्य संगीत (सितार) #	65		विज्ञान (कृषि) वर्ग (ऐच्छिक विषय)		
	(4) वाद्य संगीत (सरोद) #	66		1.	कृषि विज्ञान (अनिवार्य) #	84
	(5) वाद्य संगीत (वायलिन) #	67		2.	जीव विज्ञान (42) अथवा कृषि जीव विज्ञान (39) (अनिवार्य) #	42/39
	(6) वाद्य संगीत (दिलरूबा) #	68		3.	भौतिक विज्ञान #	40
	(7) वाद्य संगीत (बांसुरी) #	69		4.	रसायन विज्ञान (41) अथवा कृषि रसायन (38) #	41/38
	(8) गिटार #	70		5.	गणित	15
	अथवा					
	(9) नृत्य कथक #	59				
11.	चित्रकला #	17		6.	सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग #	03
12.	गृहविज्ञान #	18				
13.	मनोविज्ञान #	19				
14.	अंग्रेजी साहित्य	20				
15.	हिन्दी साहित्य	21	क्रम संख्या 15 से 22 में से कोई एक विषय	7.	पर्यावरण विज्ञान #	61
16.	उर्दू साहित्य	22		8.	व्यावसायिक ट्रेड विषय कोड सहित (कोई एक) # 1. ऑटोमोबाइल (101) 2. सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102) 3.. स्वास्थ्य देखभाल (103) 4. IT&ITES (104) 5. रिटेल (105) 6. ट्रेवल एण्ड ट्यूरिज्म (106) 7. सिक्योरिटी (107) 8. Appeal Made up & Home Furnishing (108) 9. Electricals & Electronics (109) 10. Micro irrigation technician (Agriculture) (110) इस विषय को केवल वे ही विद्यार्थी चयन कर सकते हैं जिन्होंने इस विषय में कक्षा 10 एवं '11 उत्तीर्ण की हो। इस विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में भी लिया जा सकता है।	
17.	सिन्धी साहित्य	23				
18.	गुजराती साहित्य	24				
19.	पंजाबी साहित्य	25				
20.	राजस्थानी साहित्य	26				
21.	फारसी	27				
22.	प्राकृत भाषा	28				
23.	समाज शास्त्र	29				
24.	शारीरिक शिक्षा #	60				
25.	पर्यावरण विज्ञान #	61				
26.	दर्शन शास्त्र	85				
	नोट :- (1) कंठ संगीत अथवा वाद्य संगीत अथवा नृत्य कथक, चित्रकला एवं गृह विज्ञान में से कोई दो विषय लिए जा सकते हैं। (2) कंठ संगीत अथवा वाद्य संगीत अथवा नृत्य कथक में से एक विषय लेना है तथा वाद्य संगीत में किसी एक वाद्य का चयन करना है।					

नोट :- # चिन्ह वाले विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित है।

विषयवार कोड लिस्ट (वरि. उपा. परीक्षा) वर्ष 2020

वरिष्ठ उपाध्याय		
(वर्ग-1) अनिवार्य विषय		कोड
1.	हिन्दी	01
2.	अंग्रेजी	02
(वर्ग-2) वैकल्पिक विषय		
1.	संस्कृत वाङ्मय (अनिवार्य)	94
1. वेद वर्ग 2. दर्शन वर्ग 3. शास्त्र वर्ग में से कोई एक विषय		
2.	1. वेद वर्ग (कोई एक)	
	1. ऋग्वेद #	44
	2. शुक्ल यजुर्वेद #	45
	3. कृष्ण यजुर्वेद #	46
	4. सामवेद #	47
	5. अथर्ववेद #	48
	2. दर्शन वर्ग	
	1. न्याय दर्शन	49
	2. वेदान्त दर्शन	50
	3. मीमांसा दर्शन	51
	4. जैन दर्शन	52
	5. निम्बार्क दर्शन	53
	6. वल्लभ दर्शन	54
	7. सामान्य दर्शन	55
	8. रामानन्द दर्शन	57
	3. शास्त्र वर्ग (कोई एक)	
	1. व्याकरण शास्त्र	86
	2. साहित्य शास्त्र	87
	3. पुराणेतिहास	88
	4. धर्मशास्त्र	89
	5. ज्योतिष शास्त्र #	90
	6. सामुद्रिक शास्त्र #	91
	7. वास्तु विज्ञान #	92
	8. पौरोहित्यशास्त्र #	93

(वर्ग-2) वैकल्पिक विषय		कोड
1.	सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग #	03
2.	अर्थशास्त्र	10
3.	राजनीति विज्ञान	11
4.	इतिहास	13
5.	भूगोल #	14
6.	गणित	15
7.	चित्रकला #	17
8.	गृहविज्ञान #	18
9.	अंग्रेजी साहित्य	20
10.	हिन्दी साहित्य	21
11.	समाज शास्त्र	29
12.	हिन्दी शीघ्रलिपि व हिन्दी टंकण लिपि	32 व 34
13.	अंग्रेजी शीघ्रलिपि व अंग्रेजी टंकण लिपि	33 व 35
14.	टंकण लिपि हिन्दी व अंग्रेजी	34 व 35
15.	सामान्य विज्ञान #	56
16.	लोक प्रशासन	06
17.	मनोविज्ञान #	19
18.	शारीरिक शिक्षा #	60
19.	पर्यावरण विज्ञान #	61

इनमें से कोई एक

नोट :- # चिन्ह वाले विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित है।

माध्यमिक परीक्षा 2020 के विषय एवं विषय कोड सूची

क्र.स.	अनिवार्य विषय	कोड	CWSN कोड
1.	हिन्दी	01	121
2.	अंग्रेजी	02	122
3.	विज्ञान	07	123
4.	सामाजिक विज्ञान	08	124
5.	गणित	09	125
6.	तृतीय भाषा- (निम्न में से कोई एक विषय)		
	संस्कृत	71	-
	उर्दू	72	-
	गुजराती	73	-
	सिन्धी	74	-
	पंजाबी	75	-

व्यावसायिक शिक्षा (ट्रेड का नाम)

Automotive	101	Apparel made up & Home Furnishing	108
Beauty & Wellness	102	Electronics & Hardware	109
IT & ITES	104	Agriculture	110
Retail	105	Plumber	111
Tourism & Hospitality	106	Telecom	112
Security	107		

प्रवेशिका परीक्षा-2020 के विषय एवं विषय कोड सूची		
क्र.स.	अनिवार्य विषय	कोड
1.	हिन्दी	01
2.	अंग्रेजी	02
3.	संस्कृतम् प्रथम प्रश्न पत्रम् एवं द्वितीय प्रश्न पत्रम्	95
4.	विज्ञान	07
5.	सामाजिक विज्ञान	08
6.	गणित	09

नोट :-

- (1.) आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी मय संलग्न प्रलेखों की फोटो प्रति को बिना मोड़े सीधे रखकर ही पार्सल बनावें।
- (2.) चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा कराने के बाद निकाले गये अधिकृत परीक्षा आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।
प्रोविजनल आवेदन पत्र जो शुल्क जमा कराने के पूर्व डाउनलोड किये जाते हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- (3.) प्रपत्र-128 तीन प्रतियों में बनावें। दो प्रति आवेदन पत्रों के साथ लगावें तथा तीसरी प्रति पर नोडल विद्यालय से रसीद प्राप्त करें।
- (4.) आवेदन-पत्र/परीक्षा शुल्क की चालान रसीदें एक ही पैकेट में निर्धारित आप निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा करावें। बोर्ड में डाक द्वारा सीधे प्रेषित आवेदन-पत्र/शुल्क की चालान रसीदें स्वीकार नहीं की जायेगी।

परिशिष्ट -9

बोर्ड अधिवेशन दिनांक 8 मई 2015 के निर्णय संख्या 52 के तहत शालाओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र नहीं भरने (आफलाईन) नोडल केन्द्रों पर आवेदन पत्र नहीं जमा कराने, परीक्षा शुल्क बैंकों में ऑनलाईन जमा नहीं कराने, आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी नहीं निकाल जाने अथवा प्रोविजनल आवेदन पत्र जमा कराने, बिना पात्रता प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र डाउनलोड करने, बिना सम्बद्धता/कमोन्नति प्राप्त किए आवेदन पत्र भरने आदि अन्य त्रुटियों/कमियों हेतु गत वर्षों की भांति बोर्ड परीक्षा 2020 से परीक्षार्थी हित को मध्य नजर रखते हुए शालाओं पर निम्नानुसार शास्ति आरोपित कर आवेदन पत्र स्वीकार किये जाए :-

1. शाला द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र नहीं भरे गये :

इसमें स्पष्टतया शाला की त्रुटि है अतः परीक्षार्थी हित को मध्य नजर रखते हुए शाला पर रु 5000/- प्रति परीक्षार्थी शास्ति शुल्क तथा दुगुना परीक्षा शुल्क एवम् प्रायोगिक परीक्षा शुल्क (प्रायोगिक विषयों हेतु) लेकर आवेदन पत्र स्वीकार किये जाएँ। किन्तु शाला प्रधान से अपनी त्रुटि स्वीकार किये जाने तथा शास्ति देने का लिखित में सहमति दिए जाने तथा विद्यालय के रिकार्ड एस.आर.रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका एवम् पूर्व विद्यालय की टी.सी. व छात्र के शाला में अध्ययन करते रहने हेतु प्रवेश आवेदन पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रतिलिपि तथा अर्द्धवार्षिक एवं तीनों परख की उत्तर पुस्तिकाओं को उपलब्ध करवाने पर ही स्वीकार किये जायेंगे। (अन्तिम तिथि 11 नवम्बर तक)

2. ऑनलाईन आवेदन पत्र पंच कराये बैंक का चालान मुद्रित किया किन्तु परीक्षा शुल्क बैंक में जमा नहीं कराया:-

यह अत्यधिक गम्भीर अनुशासनहीनता है क्योंकि ऑनलाईन पंचिंग से आवेदन पत्रों का डाटा तो मुद्रित हो जाता है किन्तु शुल्क जमा नहीं कराना वित्तीय अपराध तथा बोर्ड को आर्थिक नुकसान की श्रेणी में आता है अतः उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अनुसार ऑफलाईन आवेदन पत्रों के समान रु. 5000/-शास्ति तथा दुगुने परीक्षा शुल्क के साथ ही स्वीकार किया जाए। (अन्तिम तिथि 11 नवम्बर तक)

3. आवेदन पत्र ऑनलाईन पंच किये, बैंक में परीक्षा शुल्क का चालान भी जमा कराया किन्तु आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी नहीं निकाली :-

प्रोविजनल आवेदन पत्र बिना शुल्क के ही मुद्रित किये जाते हैं अतः बैंक में परीक्षा शुल्क जमा कराने तथा शुल्क चालान की मूल प्रति उपलब्ध कराए जाने पर रु 1000/- प्रति आवेदन पत्र की दर से शास्ति शुल्क लिया जाए।

4. नोडल केन्द्रों पर प्रोविजनल आवेदन पत्र जमा कराएँ :-

बैंक में परीक्षा शुल्क जमा होने के चालान की प्रति उपलब्ध कराने तथा शुल्क जमा की पुष्टी होने तथा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाने पर रु 500/- प्रति परीक्षार्थी की दर से शास्ति शुल्क अधिकतम 25000/- रु लिया जाये।

5. अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों को बिना पात्रता प्रमाण पत्र के प्रवेश देकर फर्जी पात्रता प्रमाण कमांक डालकर ऑनलाईन आवेदन पत्र कराना अथवा बिना पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किये आवेदन पत्र भरने पर :-

(i) रु. 1500/- प्रति परीक्षार्थी शास्ति शुल्क तथा पात्रता प्रमाण पत्र का निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराने पर आवेदन पत्र स्वीकार किये जाए। (अन्तिम तिथि 31 जनवरी तक)

(ii) रु. 2000/- प्रति परीक्षार्थी शास्ति शुल्क तथा पात्रता प्रमाण पत्र का निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराने पर आवेदन पत्र स्वीकार किये जाए। (अन्तिम तिथि 10 फरवरी तक)

(iii) रु. 2500/- प्रति परीक्षार्थी शास्ति शुल्क तथा पात्रता प्रमाण पत्र का निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराने पर आवेदन पत्र स्वीकार किये जाए। (अन्तिम तिथि परीक्षा प्रारम्भ से एक दिन पूर्व तक)

6. ऑनलाईन आवेदन पत्र पंच कराए, परीक्षा शुल्क चालान भी बैंक में जमा कराया तथा आवेदन पत्र भी मुद्रित किये किन्तु आवेदन पत्र नोडल केन्द्रों पर जमा नहीं कराएँ :-

बोर्ड द्वारा नोडल केन्द्रों पर वाहन भेजकर ट्रिप द्वारा आवेदन पत्र मंगाए जाने की व्यवस्था की जाती है तथा व्यवस्था हेतु वाहन व्यय, कर्मचारियों के यात्रा बिलों का भुगतान नोडल केन्द्र प्रभारियों को मानदेय का भुगतान किया जाता है किन्तु निर्देशानुसार कार्यवाही नहीं करने पर सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है अतः रु 500/- प्रति परीक्षार्थी शास्ति शुल्क एवम् अधिकतम 25000/- शास्ति शुल्क लेकर आवेदन पत्र स्वीकार किया जाए। (अन्तिम तिथि 30 नवम्बर)

7. राज्य सरकार से यथा समय मान्यता प्राप्त की गई किन्तु बोर्ड से बिना सम्बद्धता प्राप्त किये छात्रों को प्रवेश देकर आफलाईन आवेदन पत्र भरवाया जाना :-

प्रथमतः तो आवेदन पत्र निरस्त किये जाएँ किन्तु नियम विरुद्ध प्रवेश देने तथा बिना मान्यता के आवेदन भराए जाने तथा बोर्ड से विलम्ब से सम्बद्धता प्राप्त किये जाने तथा सम्बद्धता प्राप्ति की कार्यवाही से पूर्व ही परीक्षार्थियों को प्रवेश देने पर सम्बद्धता शाखा से पुष्टी किये जाने पर रु. 2000/-प्रति परीक्षार्थी की दर से शाला पर शास्ति शुल्क आरोपित कर आवेदन पत्र स्वीकार किया जाए। (अन्तिम तिथि 11 नवम्बर तक)

8. राज्य सरकार से कमोन्ति आदेश के बावजूद बोर्ड से उ.मा.परीक्षा हेतु सम्बद्धता की कार्यवाही किये बिना अथवा विलम्ब से सम्बद्धता की कार्यवाही करने से पूर्व ही उच्च मा. परीक्षा के आवेदन पत्र ऑनलाईन भराये जाने पर :-

रु. 2000/-प्रति परीक्षार्थी शास्ति शुल्क आरोपित कर परीक्षार्थियों को प्रवेशाज्ञा दी जाए।

9. शाला द्वारा त्रुटिवश दो बार परीक्षा शुल्क जमा कराने पर :-

दोहरे शुल्क जमा कराए जाने के दोनो मूल चालान प्रस्तुत करने तथा लेखा शाखा से डबल जमा शुल्क की पुष्टि होने पर प्राप्त शुल्क में से 10 प्रतिशत की कटौती अथवा अधिकतम 2500/- कटौती कर शेष शुल्क लौटा दिया जाए।

परिशिष्ट - 10

राज्य सरकार के पत्रांक प: 4(5) शिक्षा-1/2007 पार्ट के अनुसार राज्य के चयनित राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की उच्च माध्यमिक/माध्यमिक परीक्षा 2020 का आयोजन किये जाने की कार्यवाही के तहत केवल उन्ही चयनित राजकीय विद्यालयों द्वारा उच्च माध्यमिक/माध्यमिक परीक्षा (व्यावसायिक) 2020 के परीक्षार्थियों के आनलाईन आवेदन पत्र भराए जाने है। व्यावसायिक शिक्षा हेतु निम्न दस/ग्यारह ट्रेड में से परीक्षार्थी द्वारा एक अतिरिक्त विषय का चयन करना है।

Automotive	101	Security	107
Beauty & Wellness	102	Apparel made up & Home Furnishing	108
Health Care	103	Electronics & Hardware	109
IT & ITES	104	Agriculture	110
Retail	105	Plumber	111
Tourism & Hospitality	106	Telecom	112

उपरोक्त परीक्षार्थियों के उच्च माध्यमिक/माध्यमिक परीक्षा (व्यावसायिक) वर्ष 2020 के पृथक से आनलाईन आवेदन पत्र भरे जाएँगे। परीक्षार्थियों को माध्यमिक परीक्षा के तृतीय भाषा के साथ-साथ उक्त में से किसी एक ट्रेड जिसका उसने शाला में अध्ययन किया है वह ट्रेड मय कोड आवेदन पत्र में भरनी होगी। बोर्ड परीक्षा शुल्क अन्य परीक्षार्थियों के समान ही रहेगा। व्यावसायिक शिक्षा का प्रायोगिक परीक्षा शुल्क एडी.पी.सी. कार्यालय द्वारा बोर्ड को भुगतान किया जाएगा। उच्च माध्यमिक/माध्यमिक परीक्षा (व्यावसायिक) 2020 के नमूने का आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध है। व्यावसायिक विषय हेतु 30 अंक सैद्धान्तिक परीक्षा, 20 अंक सत्रांक, तथा 50 अंक प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित है। परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

कक्षा 10 की परीक्षा में यदि व्यावसायिक शिक्षा विषय के प्राप्तांक सामाजिक विज्ञान विषय के प्राप्तांक से अधिक है और परीक्षार्थी ने इन दोनों विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञान के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा के प्राप्तांक को 6 विषयों में शामिल करते हुए परिणाम जारी किया जाएगा।

परिशिष्ट - 12

परीक्षा में एक घण्टा अतिरिक्त दिये जाने तथा श्रुतलेखक के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिव्यांग परीक्षार्थियों एवं विमंदित (अधिगम अक्षम) परीक्षार्थियों का वर्ष 2011 की परीक्षा से एक घंटा अतिरिक्त दिये जाने एवं लिखने में असमर्थ दिव्यांग को श्रुतलेखक के साथ एक घंटा अतिरिक्त दिये जाने हेतु निम्नानुसार न्यूनतम विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है -

रोग	आवश्यक असक्षमता	रोग प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी (मान्यता प्राप्त राजकीय चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो या चिकित्सालय/ मेडिकल कॉलेज द्वारा अधिदुत बोर्ड)	प्रति हस्ताक्षरित
एक घंटा अतिरिक्त			
1. सूर्यमुखी/मायोपिया अथवा अन्य कोई बीमारी जिससे आँख की रोशनी बाधित हो।	40: दृष्टि विकलांगता	नेत्र चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी.एम.ओ./मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
2. सेरीब्रल पाल्सी	40: विकलांगता	मनो चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी.एम.ओ./मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
3. पोलियो/ लकवा/ जन्मजात विकलांगता	40: विकलांगता	अस्थिरोग चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी.एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
4. मूक बधिर	40: विकलांगता	नाक, कान, गला, चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी.एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
5. थैलीसीमिया/ हीमोफिलिया		जनरल फीजिशियन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी.एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक

श्रुतलेखक दिये जाने के क्रम में 1. दृष्टिहीन	75: एवं इससे अधिक दृष्टि विकलांगता	नेत्र चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी. एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
2. सेरीब्रल पाल्सी	75: एवं इससे अधिक शारीरिक असक्षमता	बोर्ड जिसमें एक मनोचिकित्सक व अस्थिरोग चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी. एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
3. पोलियो / लकवा / जन्मजात विकलांगता	लिखने में असक्षमता	अस्थिरोग चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी. एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
4. आकस्मिक दुर्घटना	लिखने में असक्षमता	अस्थिरोग चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी. एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
5. विमंदित ; अधिगम अक्षमता	Moderate व Severe श्रेणी	मनोचिकित्सक	राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर

- नोट:-
1. प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पी.एम.ओ., मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
 2. उपरोक्त स्थायी रूप से विकलांग परीक्षार्थी, जिनके पास मेडिकल बोर्ड का स्थायी विकलांगता प्रमाण-पत्र जिनसे बोर्ड की शर्तें पूर्ण होती हों, को सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराने से छूट प्रदान की जाती है।
 3. पोलियो / लकवा / जन्मजात विकलांगता तथा आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में प्रमाण पत्र पर यह उल्लेखित होना आवश्यक है कि इस बीमारी के कारण परीक्षार्थी की स्वयं लिखने की दक्षता सामान्य से 40 प्रतिशत न्यून है अथवा स्वयं लिखने में असमर्थ है।
 4. विमंदित (अधिगम अक्षमता) परीक्षार्थियों को **Mild, Moderate Severe** तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर परीक्षार्थी को परीक्षा में एक घंटा अतिरिक्त / श्रुतलेखक दिया जायेगा।
 5. प्रमाण-पत्र पर रोगी का फोटो होना आवश्यक है।
 6. श्रुतलेखक की स्थिति में भी एक घंटा अतिरिक्त समय देय होगा।
 7. ऐसे अस्थि दिव्यांग विद्यार्थी जो **hand amputation and spinal cord** संबंधी विकारों के कारण लिखने अथवा बैठने में असमर्थ हो तो उन्हें आवश्यकतानुसार श्रुत लेखक की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है।
 8. उपरोक्त विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को प्रत्येक परीक्षा में 20 मिनट प्रति घण्टा के अनुसार अतिरिक्त समय दिया जावेगा।

राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक प.3(28)शिक्षा-6/2014/पार्ट बी दिनांक 01/06/2017 के क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के अनुसार नीतिगत निर्णय लेकर निम्न आदेश तुरन्त प्रभाव से जारी किए जाते हैं। राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई.डी.एस.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यकतानुसार शिथिलता/अनुकूलन प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किये जाते हैं।

1. नियमित परीक्षा / मूल्यांकन प्रक्रिया में विशेष आवश्यकता वाले बालकों (CWSN) का समुचित मूल्यांकन करने के लिए पूरे राजस्थान राज्य में एकीकृत रूप से इन दिशा-निर्देशों का नीतिगत रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह प्रक्रिया कक्षा 9 से 12 के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये लागू होगी। प्रक्रिया की क्रियान्विति के लिए कक्षा 9 व 11 के लिये संबंधित प्रधानाचार्य / आवश्यकतानुसार निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर तथा कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा हेतु रा.मा.शि. बोर्ड, अजमेर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

पात्रता :-

3. यह नियम 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले बालक-बालिकाओं पर लागू होंगे। इस संबंध में दिव्यांगता प्रमाण पत्र सरकारी सेवा में कार्यरत चिकित्सक द्वारा जारी होने पर ही परीक्षा में छूट हेतु पात्र होंगे। अन्य किसी स्तर पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. यह छूट अस्थि दिव्यांग (Physically disabled) विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी। केवल अन्य श्रेणियों यथा LV & TB, HI, SI, MR, CP, ASD, MD, SLD, पर लागू होगी। यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो अस्थि दिव्यांग विद्यार्थी **Hand amputation and spinal cord** विकारों के कारण लिखने अथवा बैठने में असमर्थ हो तो उन्हें आवश्यकतानुसार श्रुत लेखक की सुविधा उपलब्ध करवायी जा सकती है।
5. विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) को विद्यालय प्रशासन से अनुरोध करने पर स्वयं का श्रुतलेखक/वाचक/सहजकर्ता उपलब्ध कराया जायेगा।
6. राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक प.3(28) शिक्षा-6/2014/पार्ट बी.दिनांक 01-06-2017 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक/मा.शि.बो/ए.सी.ए/2017/T-6032 दिनांक 04-09-2017 के क्रम में राज्य के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई.डी.एस.एस.कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालकों (CHILD WITH SPECIAL NEED) के मूल्यांकन हेतु उपरोक्त परीप्रेक्ष्य में बैठक आयोजित की गई जिसमें राज्य

सरकार के निर्देशों के अनुरूप (CWSN) के मूल्यांकन पर नीतिगत रूप से आदेशों के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।

1. निर्देशों के क्रम में उपरोक्त सुविधा कक्षा 10 व 12 के (CWSN) परीक्षार्थियों को देय होगी।
 2. यह नियम 40% या अधिक दिव्यांगता वाले परीक्षार्थियों पर लागू होगा जिसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित केवल राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
 3. यह छूट अस्थि विकलांग (Physical disability) परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी किन्तु लिखने व बैठने में असमर्थ होने पर आवश्यकतानुसार श्रुतलेखक उपलब्ध कराया जा सकेगा केवल LV & TB, HI,SI,MR,CP,ASD,MD,SLD, परीक्षार्थियों को यह सुविधा देय होगी।
 4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं हेतु वर्तमान में प्रचलित टोकन शुल्क की व्यवस्था को जारी रखा जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों को बोर्ड नियमानुसार श्रुतलेखक उपलब्ध कराया जा सकेगा किन्तु श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता (CWSN) वाले परीक्षार्थी से पूर्व नियमानुसार कम होनी आवश्यक है।
 5. श्रुतलेखक/वाचक/सहजकर्ता को 100/रु प्रति पेपर मानदेय का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
 6. ऐसे परीक्षार्थियों को पूर्व बोर्ड नियमानुसार 20 मिनट प्रति घण्टा (अर्थात् 1 घण्टा) अतिरिक्त समय देय होगा।
 7. मूक बधिर, दृष्टि बाधित व अस्थि दिव्यांग की श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों (MR,CP,ASD,MD,SLD) के (CWSN) परीक्षार्थियों के मूल्यांकन हेतु अर्जित प्राप्तांकों में 20 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर अंतिम प्राप्तांक निर्धारित किए जाएँ।
 8. मूक बधिर दृष्टि बाधित व अस्थि दिव्यांग की श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों जैसे (MR,CP,ASD,MD,SLD) (ऑटिज्म, मंदबुद्धि, लर्निंग डिस्ऑर्डर, प्रमस्तिष्कीय पक्षघात बहुविकलांगता) विद्यार्थी जिन्हें भाषा-सम्प्रेषण सम्बन्धी समस्या हो ऐसे परीक्षार्थियों को भाषा विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक में 10 प्रतिशत शिथिलन प्रदान किया जाएगा।
 9. केन्द्राधीक्षक ऐसे परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं पर "विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थी (CWSN) अंकित करेंगे।
 10. कक्षा 10 व 12 का प्रश्न बैंक जो मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए क्रियान्वित है वह यथावत लागू रहेगा तथा कक्षा 8 का प्रश्न बैंक जो मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है क्रियान्वित किया जाये तथा इसका लाभ पत्र में वर्णित समस्त श्रेणी के दिव्यांगों को जो सामान्य या विशेष विद्यालयों में पढते हो सभी को दिया जायेगा। ऐसे समस्त विद्यार्थियों को मूक बधिर के प्रश्न पत्र ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। चाहे वे सामान्य विद्यालय के छात्र हो या निर्धारित D&D विद्यालय के छात्र हो। अतः एन.आर. इसी अनुरूप तथा परिणाम भी D&D अनुरूप ही बनेगा।
 11. कक्षा 10 के मूक बधिर परीक्षार्थियों को अंग्रेजी विषय में वर्ष 2019 की बोर्ड परीक्षा से छूट समाप्त की जा चुकी है तथा कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय की परीक्षा वर्ष 2021 से समाप्त कर दी जायेगी।
 12. माध्यमिक पूरक में अन्य परीक्षार्थियों की भांति अंग्रेजी के अतिरिक्त शेष विषयों में से एक विषय (अर्थात् अंग्रेजी + 1 = कुल 2 विषयों) में पूरक परीक्षा योग्य घोषित किया जा सकेगा।
 13. माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा में (CWSN) SPL-Code सूर्यमुखी (03), मूक बधिर (05), सेरेब्रल पालसी (06), अधिगमन अक्षमता/विशिष्ट अधिगमन अक्षमता (08), पूर्ण दृष्टिबाधित एवं लो-विजन (09), श्रवण बाधित/वाणी बाधित (10), मानसिकविमन्दित/ऑटिज्म (11), बहुविकलांग (12), थैलिसिमिया (13), हिमोफिलिया (14) वाले परीक्षार्थियों को पृथक से नामांक जारी किये जाएंगे।
 14. परीक्षार्थी द्वारा भरे गए आवेदन पत्रानुसार विषयों में ही परीक्षा देनी होगी।
 15. (CWSN) वाले परीक्षार्थियों द्वारा विषय सम्बन्धी त्रुटि होने की सूचना 15 फरवरी से पूर्व देकर विषय परिवर्तन/संशोधित प्रश्न पत्र की मांग करने पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकेगा।
7. उपरोक्तानुसार विशेष आवश्यकता वाले बालकों (CWSN) के मूल्यांकन हेतु दिनांक 23.01.2019 को आयोजित समिति की बैठक के प्रस्तावों के अनुसार निम्न व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करावें।
1. **उच्च माध्यमिक परीक्षा :-** के तहत मूक बधिर परीक्षार्थियों को केवल आठ विषयों (हिन्दी अनिवार्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, लोक प्रशासन, हिन्दी साहित्य एवं चित्रकला) के प्रश्न-पत्र प्रश्न माला के आधार पर मुद्रित कराए जाते हैं। अतः उन्हें केवल इन आठ विषयों के विशेष प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराए जा सकेंगे। अन्य सभी विषयों के प्रश्न-पत्र सामान्य परीक्षार्थियों के समान उपलब्ध कराए जाएंगे।
 2. उच्च माध्यमिक परीक्षा में बोर्ड कोड 05 मूक बधिर (Deaf and Dumb) वाले परीक्षार्थियों की नोमिनल रोल पृथक से मुद्रित कराई जाएगी।
 3. अन्य विशेष आवश्यक वाले परीक्षार्थी जिनके कोड-03(सूर्यमुखी), 06 (सेरेब्रल पालसी), 08 (अधिगमन अक्षमता) में आवेदन पत्र भरवाए गये हैं उनको मुख्य नामावली में अन्य छात्रों के समान नामांक आवंटित किये जाएँ।
 4. ऐसे CWSN विद्यार्थी जिन्होंने उक्त 08 विषयों के अलावा यदि किन्हीं विषयों का चयन किया है तो उन्हें साधारण सैद्धान्तिक परीक्षा वाले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। जो निम्नानुसार है :- हिन्दी (01), लोक प्रशासन (06), राजनीति विज्ञान (11), इतिहास (13), भूगोल (14), चित्रकला (17), हिन्दी साहित्य (21), समाजशास्त्र (29)
 5. यदि CWSN वाला परीक्षार्थी विशेष प्रश्न-पत्रों से परीक्षा देना चाहता है तो उसे इस बाबत ऑनलाईन आवेदन पत्रों में स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

6. **माध्यमिक परीक्षा :-** के तहत बोर्ड द्वारा मूक बधिर (Deaf and Dumb) परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित विषयों में भराए गये है अतः मूक बधिर परीक्षार्थियों के समान ही कोड-03(सूर्यमुखी), कोड-05 (मूक बधिर) कोड- 06 (सेरेब्रल पालसी) कोड-08 (अधिगमन अक्षमता) पूर्ण दृष्टिबाधित एवं लो-विजन (09), श्रवण बाधित/वाणी बाधित (10), मानसिक विमन्दित/ऑटिज्म (11), बहुविकलांग (12), थैलिसिमिया (13), हिमोफिलिया (14) के समस्त परीक्षार्थियों के पृथक से नामांक आवंटित कर इन्हे भी प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
 7. माध्यमिक परीक्षा के तहत मूक बधिर एवं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों (CWSN) को तृतीय भाषा से छूट प्रदान की गई है किन्तु यदि CWSN वाले परीक्षार्थियों ने आवेदन पत्र में तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी भरा हो तथा वे सामान्य परीक्षार्थियों के समान तृतीय भाषा सहित सामान्य प्रश्न-पत्र चाहते हों तो इन परीक्षार्थियों को ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
 8. CWSN वाले परीक्षार्थियों में मूक बधिर, अस्थि विकलांग तथा नेत्रहीन परीक्षार्थियों को छोड़कर शेष परीक्षार्थियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार मूल्यांकन हेतु अर्जित प्राप्तांकों में 20 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर अन्तिम प्राप्तांक निर्धारण पश्चात् परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा।
 9. राज्य सरकार के निर्देशानुसार मूक बधिर, दृष्टि बाधित व अस्थि दिव्यांग परीक्षार्थियों को छोड़कर शेष CWSN वाले परीक्षार्थियों को भाषा विषय हिन्दी व अंग्रेजी में 10 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांकों में शिथिलन प्रदान किया जाएगा। प्रोग्रामिंग व अन्य तकनीकी बिन्दुओं को मध्यनजर रखते हुए आई.टी. शाखा के तकनीकी विशेषज्ञों की राय के अनुसार मुद्रित किया जायेगा।
 10. सूर्यमुखी परीक्षार्थियों (Albino) को उपरोक्तानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांकों में 10 प्रतिशत तथा अर्जित प्राप्तांकों में 20 प्रतिशत बोनस अंकों का शिथिलन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- प्रमाण-पत्र का प्रारूप पृष्ठ भाग पर मुद्रित है। उक्त प्रारूप के सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही उपरोक्त सुविधा दी जा सकेगी। अतः कृपया सभी सम्बन्धित परीक्षार्थियों को उपरोक्तानुसार सूचना देने का कष्ट करें ताकि समय पर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकें। प्रायः देखने में आया है कि केन्द्राधीक्षक महोदय चिकित्सालय की इलाज की पर्ची अथवा रुग्णता प्रमाण-पत्र के आधार पर श्रुतलेखक दे देते हैं जो नियमानुसार सही नहीं है।

उपरोक्तानुसार न्यूनतम विकलांगता का प्रमाण- पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त किये बिना इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जायेगा। समस्त केन्द्राधीक्षक महोदय कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें तथा मूल प्रलेख/प्रमाण पत्र बोर्ड कार्यालय को प्रेषित कर परीक्षा प्रारम्भ के एक माह पूर्व तक पुष्टि करा लें।

इस परिपत्र की फोटो प्रति कृपया (Notice Board) नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करावें।

9. अन्य जानकारी हेतु बोर्ड कन्ट्रोल रूम में निम्न दूरभाष 0145-2632866, 2632867, 2632868 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

—: सम्पर्क सूत्र :-

पदनाम	नाम	फोन नं. कार्यालय
सचिव	श्रीमती मेघना चौधरी R.A.S.	0145-2420597
विशेषाधिकारी एवं मुख्य नियंत्रक (परीक्षा)	श्रीमती नीतू यादव R.A.S.	0145-2626804
ए.सी.पी. (उपनिदेशक) ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र पूछताछ हेतु	श्री महेन्द्र सिंह शक्तावत	0145-2627454
उप निदेशक (परीक्षा)	श्री शिव शंकर अग्रवाल	0145-2425770
सहायक निदेशक (परीक्षा)	श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना	0145-2632877

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT
MEDICAL BOARD'S CERTIFICATE ON PERMANENT DISABILITY**

(Specified in Section 2 (b) (e)(l)(n)(o)(q)(r)(t) and (u) of the persons with disabilities Act. 1995, CH. II of the persons with disabilities Rules 1996, Notification of the Govt. of India In the Ministry of Welfare No-4-2/83-HW III date 6th August, 1986 and circular No. P-16/5/MH/2/98 dated 30/6/2000 Medical & Department Government of Rajasthan.


Certificate No. / Date

Name of Hospital

DEPARTMENT OF OCTORUINO LARYNGOLOGY

.....

.....



This is to certify that Shri/Smt./Km.whose particulars are furnished below. is bonafide "Person with Disability" ORTHOPADICALLY/ VISUALLY/HEARING IMPAIRMENT/MENTALLY/LEPROSY CURED PERSON

PARTICULARS OF THE DISABLED PERSON

FATHER'S/ HUSBAND'S NAME

GENDER AGE

ADDRESS

IDENTIFICATION MARK

HISTORY OF ILLNESS/TRAUMA WITH DURATION.....

AGGREGATE PERCENTAGE OF THE PERMANENT DISABILITY.....

(I) HE/SHE HAS 40% DISABILITY IN DOMINENT HAND

or

(II) HE/SHE IS UNABLE TO WRITE HIMSELF
(In case of Polio/Paralysis/by birth disability and accident)
(✓and Signature as applicable)

Signature
Thumb Impression
of the Disabled Person

Place :
Date

Issued by : Signature
Name :
Seal

Counter signed by :
Signature
Name
Seal

- Note :-
1. Aforesaid Person with disability is eligible to apply for facilities concessions and benefit admissible under Schemes of the Govt./Non. Govt. organization subject to such condition as the Central or the State Government may Issue.
 2. In case of Polio/Paralysis/by Birth disability and accident, please mention clearly that He/She has 40% disability in dominant hand or unable to write himself.